बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन (मत्स्य) विभाग
मत्स्य निदेशालय, पटना

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनान्तर्गत विभिन्न लाभुक आधारित अवयवों के क्रियान्वयन हेतु अनुदेश

(वर्ष 2020–21)

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनान्तर्गत विभिन्न लाभुक आधारित अवयवों के क्रियान्वयन हेतु सामान्य अनुदेश

1. योजना का उद्देश्य :–

मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादकता (Fish Production and Productivity) आधारभूत संरचना (Infrastructure) एवं शिकारमाही के पश्चात् प्रबंधन (Post-harvest management) से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन से राज्य के मत्स्य कृषकों को वैज्ञानिक पद्धति आधारित मत्स्य बीज, मत्स्य उत्पादन, मत्स्य विपणन, मत्स्य भंडारण, मत्स्य प्रसंस्करण एवं मत्स्य चारा उत्पादन, आदि व्यवसाय द्वारा सत्त गुणवत्तापूर्ण खाने योग्य मछलियों की उपलब्धता बाजार में सुनिश्चित करना है। लाभुक आधारित अवयवों में पात्रता के आधार पर एक व्यक्ति/परिवार को One Time आच्छादित किया जाना है। इन योजनाओं के प्रवृत होने से राज्य के मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि होगी। साथ ही ग्रामीण स्तर पर रोजगार के नए अवसर सृजित होगें तथा किसानों के आय में वृद्धि होगी एवं राज्य मत्स्य–बाहुल्य प्रदेश बनने की दिशा में अग्रसर होगा।

2. योजना का विस्तार :– इस योजना का क्रियान्वयन राज्य के सामान्यतया सभी जिलों में की जाएगी।

3. पात्र आवेदक :–

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनान्तर्गत मछुआ, मत्स्य पालक, मत्स्य विक्रेता, मत्स्य मजदूर, मत्स्य विकास अभिकरण, स्वयं सहायता समूह, संयुक्त दैयता समूह, मत्स्यजीवी सहयोग समिति, मत्स्य फेडरेशन, मत्स्य उद्यमी, कम्पनियाँ, मत्स्य उत्पादक समूह/संस्थान, अनुसूचित जाति/ जनजाति /महिला/दिव्यांग, राज्य सरकार एवं संबद्ध उपक्रम, राज्य मात्स्यिकी विकास बोर्ड, भारत सरकार एवं संबद्ध उपक्रम आदि इसके लाभुक होंगे। आवेदक की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होनी अनिवार्य है।

4. अनुदान :–

i) अन्य वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सभी वर्गों की महिलाओं हेतु विभिन्न अवयव के लिए निर्धारित इकाई लागत का क्रमशः 40 प्रतिशत, 60 प्रतिशत, 60 प्रतिशत एवं 60 प्रतिशत अनुदान देय होगा। निर्धारित इकाई लागत की शेष राशि स्वलागत अथवा बैंक ऋण के माध्यम से लाभुकों के द्वारा वहन किया जाएगा।

ii) लाभुक को अनुदान स्वरूप उक्त अवयव हेतु निर्धारित अनुदान राशि अथवा वास्तविक क्रय मूल्य पर अनुमान्य अनुदान प्रतिशत के समतुल्य राशि, दोनों में से जो भी न्यूनतम हो, की अनुमान्यता होगी।

iii) निर्धारित इकाई लागत से अधिक व्यय होने पर अतिरिक्त व्यय राशि का वहन लाभुक के द्वारा स्वयं किया जाएगा।

5. आवेदन की प्रक्रिया एवं लाभुकों का चयन :–

i) मत्स्य निदेशालय द्वारा राज्यस्तरीय दैनिक समाचार–पत्र में विज्ञापन का प्रकाशन किया जाएगा।

ii) विज्ञापन में निर्धारित तिथि तक ऑनलाईन आवेदन विभागीय वेबसाईट "fisheries.ahdbihar.in" पर किया जाएगा।

iii) Online आवेदन में समर्पित दस्तावेजों की एक प्रति प्राप्ति दस्तावेज के साथ आवेदक संबंधित जिला मत्स्य कार्यालय में समर्पित करेंगें।

iv) प्राप्त आवेदनों को जिला मत्स्य कार्यालय में तिथिवार पंजी में संधारित करेंगे।

6. आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले कागजात :–

(क) व्यक्तिगत (Individual) आवेदन हेतु–

1. सामान्य कागजात–

i. आवेदक का पासपोर्ट–साईज फोटो।

ii. आवेदक का आधार/भारत सरकार द्वारा मान्य कोई भी फोटो पहचान–पत्र।

iii. शपथ पत्र (विहित प्रपत्र में)।

iv. बैंक पासबुक अथवा चेक (जिसमें बैंक का नाम, शाखा का नाम, खाता संख्या, आई0एफ0एस0सी0 कोड सहित) की छायाप्रति।

v. जाति प्रमाण–पत्र की छायाप्रति (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिये)।

2. भूमि संबंधी अवयवों हेतु कागजात–

i. निजी भूमि का खाता, खेसरा, रकवा एवं स्पष्ट हिस्सेदारी सहित भू–स्वामित्व प्रमाण–पत्र अथवा लगान राजस्व रसीद (गत् अथवा वर्तमान वर्ष)।

ii. पट्टा/लीज की भूमि की स्थिति में योजनानुसार निबंधित लीज की प्रति।

iii. सरकारी भूमि की स्थिति में सरकारी पट्टा/परवाना की प्रति, सरकारी भूमि आवंटन संबंधी दस्तावेज।

iv. डी0पी0आर0/एस0सी0पी0।

3. विपणन एवं ई–ट्रेडिंग संबंधी अवयवों हेतु कागजात– मत्स्य विपणन संबंधी अवयवों यथा दो पहिया, तीन पहिया, साईकिल, इनसुलेटेड वाहन, रेफ्रिजेरेटेड वाहन एवं मोबाईल फिश किऑस्क हेतु सिर्फ सामान्य कागजातों की आवश्यकता होगी। भूमि संबंधी कागजातों की आवश्यकता नहीं होगी।

(ख) समूह यथा SHG/JLG/FFPO/Federation/मत्स्यजीवी सहयोग समितियाँ हेतु–

समूह के सभी सदस्यों को एक इकाई मानते हुए समूह के द्वारा समर्पित आवेदनों पर विचार किया जाएगा।

a. सामान्य कागजात–

i. ग्रुप लीडर/संस्था प्रमुख का पासपोर्ट–साईज फोटो।

ii. ग्रुप लीडर का आधार।

iii. शपथ पत्र (विहित प्रपत्र में)।

iv. संस्था का बैंक पासबुक अथवा चेक (जिसमें बैंक का नाम, शाखा का नाम, खाता संख्या, आई0एफ0एस0सी0 कोड सहित) की स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति

v. पंजीकरण/निबंधन प्रमाण–पत्र/पहले आम सभा की बैठक की स्व–अभिप्रमाणित प्रति।

b. भूमि संबंधी कागजात–

i. समूह के सदस्य के नाम पर भूमि होने की स्थिति में खाता, खेसरा, रकवा एवं स्पष्ट हिस्सेदारी सहित भू–स्वामित्व–प्रमाण पत्र अथवा लगान राजस्व रसीद (अद्यतन अथवा गत् वर्ष का)।

ii. पट्टा/लीज की भूमि की स्थिति में योजनानुसार निबंधित लीज की प्रति।

iii. सरकारी भूमि की स्थिति में सरकारी पट्टा/परवाना की प्रति, भूमि आवंटन संबंधी दस्तावेज।

iv. डी0पी0आर0/एस0सी0पी0।

c. विपणन संबंधी कागजात– मत्स्य विपणन संबंधी अवयवों यथा दो पहिया, तीन पहिया, साईकिल, इनसुलेटेड वाहन, रेफ्रिजेरेटेड वाहन एवं मोबाईल फिश किऑस्क हेतु सिर्फ सामान्य कागजातों की आवश्यकता होगी। भूमि संबंधी कागजातों की आवश्यकता नहीं होगी।

(ग) व्यवसायिक संस्थान/कंपनी ऐक्ट के तहत निबंधित हेतु–

a. सामान्य कागजात–

i. संस्थान/कंपनी के डाइरेक्टर का पासपोर्ट–साईज फोटो।

ii. संस्थान/कंपनी के डाइरेक्टर का आधार।

iii. शपथ पत्र (विहित प्रपत्र में)।

iv. संस्थान/कंपनी का चेक (जिसमें बैंक का नाम, शाखा का नाम, खाता संख्या, आई0एफ0एस0सी0 कोड सहित) की स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति।

v. Certificate of Incorporation.

vi. संस्थान/कंपनी का पैन कार्ड।

vii. संस्थान/कंपनी का जी0एस0टी0 निबंधन प्रमाण–पत्र।

viii. संस्थान/कंपनी का विगत वर्ष (2018–19) का अंकेक्षित वित्तीय विवरणी।

b. भूमि संबंधी कागजात–

i. व्यवसायिक संस्थान या कम्पनी की भूमि का भू–स्वामित्व–प्रमाण पत्र अथवा लगान राजस्व रसीद (खाता, खेसरा, रकवा एवं स्पष्ट हिस्सेदारी सहित)।

ii. पट्टा/लीज की भूमि की स्थिति में योजनानुसार निबंधित लीज की प्रति।

iii. सरकारी भूमि की स्थिति में सरकारी पट्टा/परवाना की प्रति, भूमि आवंटन संबंधी दस्तावेज।

iv. डी0पी0आर0/एस0सी0पी0।

c. विपणन संबंधी कागजात– मत्स्य विपणन संबंधी अवयवों यथा दो पहिया, तीन पहिया, साईकिल, इनसुलेटेड वाहन, रेफ्रिजेरेटेड वाहन एवं मोबाईल फिश किऑस्क हेतु सिर्फ सामान्य कागजातों की आवश्यकता होगी। भूमि संबंधी कागजातों की आवश्यकता नहीं होगी।

7. आवेदक का चयन :–

i) आवेदन हेतु सूचना प्रकाशन के पश्चात् निर्दिष्ट अवधि के अंदर ऑनलाईन के माध्यम से प्राप्त सभी आवेदनों को जिला मत्स्य कार्यालय में तिथिवार संधारित किया जाएगा।

ii) जिला मत्स्य पदाधिकारी सात दिनों के अंदर सभी आवेदनों की जाँच करेंगे तथा आवेदकों को त्रुटि सुधार हेतु लिखित रूप से 10 दिनों का समय देंगे। 10 दिनों में त्रुटि सुधार नहीं हुए आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जाएगा।

iii) जॉचोपरान्त आवेदन पत्रों को समाहर्त्ता की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति (डी0एल0सी0) के समक्ष चयन हेतु उपस्थापित किया जाएगा। लक्ष्य से अधिक योग्य आवेदन प्राप्त होने पर प्रतिक्षा सूची तैयार की जाएगी।

8. <u>चयन में प्राथमिकता :–</u>

i) आवेदन के साथ समर्पित डी0पी0आर0/एस0सी0पी0 एवं अन्य कागजातों की समीक्षा कर प्राथमिकता सूची बनायी जाएगी।

ii) प्रस्ताव की व्यवहार्यता (viability), उपयुक्तता, स्थानीय उपयोगिता एवं आवश्यकता के आधार पर प्राथमिकता निर्धारित किया जाएगा। उक्त आधार पर सभी आवेदन पत्रों की समीक्षा कर समेकित सूची तैयार की जाएगी।

iii) योग्य आवेदनों की संख्या लक्ष्य से अधिक होने पर प्रतीक्षा सूची से आवेदकों को वर्तमान वर्ष अथवा आगामी वर्ष में लक्ष्य प्राप्त होने पर चयन किया जाएगा।

iv) मत्स्य फीड मील/कोल्ड स्टोरेज/कोल्ड चेन/आईस प्लांट से संबंधित योजना में बैंक से वित्त पोषण से निर्माण करने वाले आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी। इस आशय का बैंक द्वारा निर्गत सहमति–पत्र संलग्न करेंगे।

v) ई–बिजनेस करने वाले आवेदकों को ई–ट्रेडिंग अवयव हेतु चयन में प्राथमिकता दी जाएगी।

vi) आर्द्रभूमि में बीज संचयन में मत्स्यजीवी सहयोग समिति के सदस्यों एवं जलाशय में बीज संचयन में स्थानीय/विस्थापित व्यक्तियों के समूह को प्राथमिकता दी जाएगी।

9. <u>लाभुकों का चयन :–</u>

जिला मत्स्य पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी द्वारा निर्धारित तिथि को डी0एल0सी0 की बैठक आहूत करेंगें एवं जॉचोपरान्त योजनावार सूची संधारित कर लाभूकों के चयन हेतु डी0एल0सी0 के समक्ष उपस्थापित करेंगे। आवेदनों में संलग्न कागजातों/साक्ष्यों/सूचनाओं एवं प्राथमिकता हेतु निर्धारित शर्तों के आधार पर लाभुकों का डी0एल0सी0 के द्वारा चयन किया जाएगा। जिन योजनाओं में जिला स्तर पर लक्ष्य उपलब्ध नहीं होगा, उन अवयवों हेतु डी0एल0सी0 से अनुशंसा के आधार पर एस0एल0ए0एम0सी0 द्वारा चयनित किया जाएगा। चयन में शिकायत होने पर जिला पदाधिकारी अपने स्तर से जाँच कर निष्पादन करेंगे एवं निष्पादन के क्रम में जटिल बिन्दु आने पर विभाग से मार्गदर्शन का मांग किया जाएगा।

10. <u>कार्यादेश निर्गत करना :–</u>

i) जिलास्तरीय समिति से चयन के एक सप्ताह के अन्दर जिला मत्स्य पदाधिकारी विहित प्रपत्र में कार्यादेश/स्वीकृत्यादेश निर्गत करेंगे।

ii) कार्यादेश में इस आशय का उल्लेख होगा कि कोई भी समर्पित कागजात गलत पाये जाने पर अनुदान की राशि देय नहीं होगी एवं कार्यादेश रद्द कर दिया जाएगा तथा अगर अनुदान का भुगतान हो गया है तो नियमानुसार वसूली की जाएगी।

11. <u>लाभुक का दायित्व :–</u>

i) निर्धारित समय–सीमा के अन्दर कार्य पूर्ण करेंगे।

ii) तकनीकी समस्या आने पर कनीय अभियंता से सम्पर्क करेंगे।

iii) कनीय अभियंता के द्वारा 2 दिनों के अन्दर तकनीकी समस्या का निराकरण किया जाएगा।

iv) लाभुक कनीय अभियंता के साथ कार्यस्थल पर संयुक्त फोटोग्राफी (*Geo-tagged Photo*) कराकर फोटोग्राफ के साथ अनुदान हेतु दावा प्रस्तुत करेंगे।

12. <u>कनीय अभियंता/सहायक अभियंता का दायित्व :–</u>

i) लाभुक के चयनोपरान्त एक सप्ताह के अन्दर कनीय अभियंता स्थल निरीक्षण कर आवश्यकतानुसार प्राक्कलन तैयार कर कार्यालय में समर्पित करेंगे।

ii) कार्यादेश निर्गत के एक पक्ष के अन्दर चयनित स्थल पर ले–आउट कराना सुनिश्चित करेंगे। स्थल निरीक्षण के क्रम में प्रस्तावित भूमि पर आवेदक का अक्षांश एवं देशांतर सहित फोटोग्राफ लेकर संचिका में संधारित करेंगे।

iii) कनीय अभियंता समय समय पर योजना का निरीक्षण कर अद्यतन स्थिति से कार्यालय को अवगत करायेंगे, ताकि कार्य की गुणवत्ता प्रभावित न हो। लाभुक के अनुरोध पर आवश्यकतानुसार समय–समय पर कार्यस्थल का निरीक्षण करेंगे।

iv) कनीय अभियंता कार्य प्रगति के अनुसार ससमय मापी पुस्तिका दर्ज कर सहायक अभियंता से प्रतिहस्ताक्षरित कराकर कार्यालय में समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।

13. <u>जिला मत्स्य पदाधिकारी का दायित्व :–</u>

i) प्राप्त ऑनलाईन आवेदन पत्रों का दैनिक संधारण एवं अनुश्रवण करना।

ii) लक्ष्य के अनुरूप आवेदन पत्र के सृजन हेतु प्रचार प्रसार करना।

iii) सात दिनों के अन्दर सभी आवेदनों की जाँच करना तथा आवेदकों को त्रुटि निराकरण हेतु 10 दिनों का समय लिखित रूप से देना।

iv) डी0एल0सी0 की बैठक निर्धारित कराना।

v) जॉचोपरान्त आवेदन को डी0एल0सी0 के समक्ष उपस्थापित करना।

vi) योजना का समय समय पर जाँच एवं अनुश्रवण करना (स्वयं एवं अधीनस्थ कर्मियों द्वारा) एवं कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करना।

vii) निर्धारित समय सीमा के अंदर अनुदान भुगतान करना।

14. <u>उप मत्स्य निदेशक का दायित्व :–</u>

i) लक्ष्य के अनुरूप प्राप्त आवेदन पत्रों की समीक्षा करना।

ii) समय समय पर क्षेत्र भमण कर कम से कम 10 प्रतिशत योजना के प्रगति का अनुश्रवण एवं गुणवत्ता की जाँच करना।

iii) योजना संचालन के दौरान अनियमितता पाये जाने पर जाँचोपरान्त स्पष्ट प्रतिवेदन से मत्स्य निदेशालय को अवगत करायेंगे।

iv) कार्य की प्रगति के अनुसार अनुदान का भुगतान सुनिश्चित कराना।

15. <u>निदेशालय का दायित्व :–</u>

i) योजना के तहत प्रस्ताव तैयार कर भारत सरकार को स्वीकृति हेतु भेजना।

ii) निर्धारित समय सीमा के अंदर आवेदन पत्र आमंत्रित करने हेतु राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशन किया जाएगा।

iii) निर्धारित भौतिक लक्ष्य के अनुरूप आवेदन प्राप्ति की समीक्षा की जाएगी।

iv) निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुरूप उपलब्धि की समीक्षा की जाएगी।

v) प्राप्त शिकायतों/परिवादों का वरीय पदाधिकारी से जाँच कराकर निष्पादन किया जाएगा।

16. अनुदान का अनुमोदन एवं भुगतानः– मत्स्य विकास पदाधिकारी/मत्स्य प्रसार पदाधिकारी/कनीय अभियंता की अनुशंसा तथा मापी पुस्तिका का प्रयोग होने वाले योजनाओं में कनीय अभियंता द्वारा मापी पुस्तिका दर्ज कर सहायक अभियंता से प्रतिहस्ताक्षरित कराने के उपरान्त जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा एक सप्ताह के अंदर आर0टी0जी0एस0/एन0ई0एफ0टी0 के माध्यम से अनुदान का भुगतान किया जाएगा।

17. इस योजनान्तर्गत निर्मित/अधिष्ठापित अवयवों पर पक्का बोर्ड लाभार्थी द्वारा लगाना आनिवार्य होगा। बोर्ड चार फीट खड़ा लोहे के एंगल पर 4 फीट x 3 फीट आकार के लोहे के चादर का होगा जिस पर पेंट से विवरणी अंकित होगी। बोर्ड पर अंकित विवरणी का प्रारूप निम्न होगा :–

बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन (मत्स्य) विभाग
मत्स्य निदेशालय, पटना

योजना का नाम एवं वर्ष– प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 2020–21
अवयव का नाम–
लाभुक का नाम एवं पता–
प्राक्कलित/लागत राशि–
अनुदान की राशि–

मत्स्य बीज हैचरी अधिष्ठापन

1. योजना का उद्देश्य :–

मत्स्य बीज हैचरी अधिष्ठापन का उद्देश्य राज्य के मत्स्य कृषकों को अंतःकरण एवं अवांछित संकरण से मुक्त, रोग–निरोधी एवं उन्नत मत्स्य बीज की उपलब्धता निरंतर सालों–भर सुनिश्चित करना है।

2. योजना का मुख्य बिन्दु :–

i. मत्स्य बीज हैचरी का अधिष्ठापन लाभुक के द्वारा स्वंय किया जाएगा।

ii. मत्स्य बीज हैचरी की इकाई लागत मो0 25.00 लाख रूपये निर्धारित है।

iii. हैचरी निर्माण (60 मिलीयन स्पॉन/वर्ष क्षमता) हेतु आवेदक के पास कम से कम 3 एकड़ निजी या निबंधित पट्टे (न्यूनतम 10 वर्ष) की भूमि का होना अनिवार्य है।

iv. एक व्यक्ति/परिवार को अधिकतम एक इकाई के निर्माण पर अनुदान देय होगा।

3. योजना की तकनीकी विशिष्टता :–

i. योजना अंतर्गत न्यूनतम 34 घन मीटर क्षमता एवं 5 मीटर ऊचाई का ओवरहेड टैंक, 12 फीट व्यास का ब्रिडिन्ग पूल, 8 फीट व्यास का दो हैचिंग पूल, 4 फीट X 6 फीट X 4 फीट आकार का एग कॉलेक्शन चैम्बर तथा 12 फीट X 6 फीट X 2.6 फीट के कुल 6 सिमेन्ट सिस्टर्न का निर्माण किया जाना है।

ii. 1500 कि0ग्रा0 ब्रूड फिश संचयन हेतु न्यूनतम 0.6 एकड़ जलक्षेत्र के 2 ब्रूड स्टॉक तालाब, 0.4 एकड़ जलक्षेत्र में स्पेन्ट फिश के लिए तालाब एवं 0.1 एकड़ जलक्षेत्र के चार नर्सरी तालाब का निर्माण किया जाना है।

4. चयन की प्रक्रिया :–

सामान्य अनुदेश में अंकित सभी शर्तों के अनुसार चयन की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी।

5. चयन में प्राथमिकता :–

जिला में पूर्व से अधिष्ठापित हैचरी की संख्या, मत्स्य बीज की आवश्यकता एवं अतिरिक्त हैचरी की आवश्यकता का आकलन किया जाएगा। प्राथमिकता निम्न आधार पर दी जा सकेगी–

i. मत्स्य बीज उत्पादन कार्य से जुड़े आवेदको को चयन में प्राथमिकता दी जा सकती है।

ii. मत्स्य बीज हैचरी हेतु अधिक रकवा मे हैचरी निर्माण का प्रस्ताव/आवेदन करने वाले आवेदकों को प्राथमिकता दी जा सकती है।

iii. आवेदक के प्रशिक्षित होने की स्थिति में प्राथमिकता दी जा सकती है।

6. <u>कार्य पूर्ण करने हेतु समय–सीमा :–</u>

i. कार्यादेश निर्गत करने के उपरान्त लाभुक को 15 दिनों के अंदर कार्य आरंभ एवं 90 दिनों के अंदर कार्य पूर्ण करना होगा। कार्य में विलम्ब की स्थिति में आवेदक को कार्य प्रारंभ करने की समय सीमा के अंदर जिला मत्स्य कार्यालय में समुचित कारण दर्शाते हुए अवधि विस्तार हेतु आवेदन समर्पित करना होगा। विलम्ब के उचित कारण की स्थिति में अधिकतम 30 दिनों तक का अवधि विस्तार जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा दिया जा सकता है।

ii. लाभुक द्वारा कार्यादेश निर्गत होने के 15 दिनों तक निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं करने की स्थिति में कारण पृच्छा नोटिस दिया जाएगा। 45 दिनों के अंदर कार्य प्रारंभ नहीं करने पर निर्गत कार्यादेश निरस्त कर लाभुक को सूचित किया जाएगा। इसकी सूचना उप मत्स्य निदेशक के माध्यम से निदेशालय को दी जाएगी।

iii. कार्यादेश निरस्त करने के उपरांत योजनान्तर्गत ऑनलाईन के माध्यम से प्राप्त आवेदनों से प्रतीक्षा सूची में अगले आवेदक को निर्धारित समय सीमा के अंदर कार्य करने हेतु कार्यादेश निर्गत किया जाएगा।

7. निर्माण कार्यों का चरण :– विभिन्न प्रकार के तालाबों के निर्माण के उपरान्त विस्थापित मिट्टी से प्लेटफार्म का निर्माण किया जाएगा तथा उसपर आवरहेड टैंक, ब्रिडिन्ग पूल, हैचिंग पूल, एग कॉलेक्शन चैम्बर तथा सिमेन्ट सिस्टर्न का निर्माण किया जाएगा।

8. <u>अनुदान का भुगतान</u> :–

मत्स्य बीज हैचरी अधिष्ठापन हेतु कुल इकाई लागत 25.00 लाख रूपये निर्धारित है तथा योजना अंतर्गत देय अनुदान की राशि कुल तीन किस्तों मे देय होगी।

i. प्रथम किस्त– मत्स्य बीज हैचरी अधिष्ठापन अंतर्गत मापी के आधार पर निर्माण लागत राशि की 50 प्रतिशत राशि का निर्माण/क्रय कार्य पूर्ण करने के पश्चात् कनीय अभियंता द्वारा चालू मापी पुस्तिका दर्ज कर सहायक अभियंता से प्रतिहस्ताक्षरित कराकर अनुदान भुगतान हेतु अनुशंसा किए जाने के उपरांत कुल अनुमान्य अनुदान राशि का 40 प्रतिशत राशि निर्धारित प्रक्रियानुसार भुगतान किया जाएगा।

ii. द्वितीय किस्त– लाभुक द्वारा शेष 50 प्रतिशत राशि का निर्माण/क्रय कार्य पूर्ण करने के पश्चात् कनीय अभियंता के द्वारा पूर्ण मापी पुस्तिका दर्ज कर सहायक अभियंता से प्रतिहस्ताक्षरित कराकर अनुदान भुगतान हेतु अनुशंसा किए जाने के उपरांत कुल अनुमान्य अनुदान राशि का 40 प्रतिशत राशि निर्धारित प्रक्रियानुसार भुगतान किया जाएगा।

iii. तृतीय किस्त– हैचरी संचालन हेतु इनपुट समाग्रियों से संबंधित रसीद/अभिश्रव के मत्स्य प्रसार पदाधिकारी/मत्स्य विकास पदाधिकारी से जाँचोपरांत, कार्य पूर्ण होने एवं हैचरी के परिचालन प्रारंभ होने की अनुशंसा समर्पित करने के उपरांत कुल अनुमान्य अनुदान का शेष 20 प्रतिशत राशि निर्धारित प्रक्रियानुसार भुगतान किया जाएगा।

10. मत्स्य बीज हैचरी का संचालन :–

i. हैचरी निर्माण के उपरान्त प्रथम प्रजनन मौसम में कार्य प्रारंभ करना आवश्यक होगा एवं कठिनाई होने पर जिला मत्स्य पदाधिकारी को सूचित करेंगे तथा जिला मत्स्य पदाधिकारी कठिनाईयों का निवारण करेंगे।

ii. योजनांतर्गत अधिष्ठापित मत्स्य बीज हैचरी को न्यूनतम 5 वर्षों तक निरंतर निर्धारित क्षमता से संचालन की जिम्मेवारी लाभुक की होगी अन्यथा अनुदान राशि की वसूली निर्धारित प्रक्रियानुसार की जाएगी। आवेदक को इस आशय का शपथ–पत्र भी संलग्न करना होगा।

नया तालाब निर्माण एवं इनपुट सहित योजना।

1. योजना का उद्देश्य :–

नया तालाब का निर्माण कर मत्स्यपालन हेतु तकनीकी के क्षैतिज विस्तार के तहत अतिरिक्त जलस्त्रोत का सृजन तथा उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि का लगातार प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में नया तालाब निर्माण के सहित प्रथम वर्ष के इनपुट योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

2. योजना का मुख्य बिन्दु :–

i. सरकार की योजनाओं के माध्यम से कृषकों एवं युवाओं को प्रोत्साहित कर मत्स्य व्यवसाय के लिए प्रेरित करना है।

ii. नया तालाब का निर्माण एवं प्रथम वर्ष इनपुट योजना का क्रियान्वयन लाभुक के द्वारा स्वयं किया जाएगा।

iii. नया तालाब का निर्माण तथा प्रथम वर्ष इनपुट की इकाई लागत प्रति हे0 क्रमशः मो0 07 लाख एवं 04 लाख निर्धारित है।

iv. नया तालाब एवं प्रथम वर्ष इनपुट योजना हेतु एक व्यक्ति/परिवार को अधिकतम 2 हेक्टर तथा समूह में अधिकतम 20 हेक्टर जलक्षेत्र पर अनुदान देय होगा।

3. योजना की तकनीकी विशिष्टता :–

i. नया तालाब का निर्माण 0.1 से 2.0 हेक्टर तक जलक्षेत्र के तालाबों का निर्माण किया जाएगा।

ii. नया तालाब के निर्माण हेतु भूमि तल से 5–6 फीट तक मिट्टी की कटाई की जानी है तथा विस्थापित मिट्टी का प्रयोग तालाब के बांध का निर्माण (1 : 1.5 का स्लोप) तथा सुदृढ़ीकरण हेतु करना है।

iii. प्रति हेक्टर जलक्षेत्र में कार्प एवं पंगेशियस के क्रमशः 5000 एवं 20,000 मत्स्यबीज का संचयन किया जाना है।

4. चयन की प्रक्रिया :–

सामान्य अनुदेश में अंकित सभी शर्तों के अनुसार चयन की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी।

5. चयन में प्राथमिकता :–

योजना अंतर्गत आवेदक को चयन में प्राथमिकता निम्न आधार पर दी जा सकेगी–

iv. क्लस्टर में दिए गए आवेदनों को प्राथमिकता दी जाएगी।

v. आवेदक के प्रशिक्षित होने की स्थिति में प्राथमिकता दी जा सकती है।

6. कार्य पूर्ण करने हेतु समय–सीमा :–

iv. कार्यादेश निर्गत करने के उपरान्त लाभुक को 15 दिनों के अंदर कार्य आरंभ एवं 60 दिनों के अंदर कार्य पूर्ण करना होगा। कार्य में विलम्ब की स्थिति में आवेदक को कार्य प्रारंभ करने की समय सीमा के अंदर जिला मत्स्य कार्यालय में समुचित कारण दर्शाते हुए अवधि विस्तार हेतु

आवेदन समर्पित करना होगा। विलम्ब के उचित कारण की स्थिति में अधिकतम 15 दिनों तक का अवधि विस्तार जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा दिया जा सकता है।

v. लाभुक द्वारा कार्यादेश निर्गत होने के 15 दिनों तक निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं करने की स्थिति में कारण पृच्छा नोटिस दिया जाएगा। 30 दिनों के अंदर कार्य प्रारंभ नहीं करने पर निर्गत कार्यादेश निरस्त कर लाभुक को सूचित किया जाएगा। इसकी सूचना उप मत्स्य निदेशक के माध्यम से निदेशालय को दी जाएगी।

vi. कार्यादेश निरस्त करने के उपरांत योजनान्तर्गत ऑनलाईन के माध्यम से प्राप्त आवेदनों से प्रतीक्षा सूची में अगले आवेदक को निर्धारित समय सीमा के अंदर कार्य करने हेतु कार्यादेश निर्गत किया जाएगा।

7. निर्माण कार्यों का चरण :– तालाब निर्माण का कार्य पूर्ण होने के पश्चात् समुचित जल की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे तथा तालाब की तैयारी के उपरान्त बीज संचयन तथा प्रबंधन का कार्य करेंगे।

8. <u>अनुदान का भुगतान</u> :–

योजना अंतर्गत नये तालाब निर्माण तथा इनपुट हेतु लागत राशि क्रमशः 7.00 लाख एवं 4.00 लाख रूपये निर्धारित है तथा देय अनुदान की राशि कुल चार किस्तों मे देय होगी।

iv. **प्रथम किस्त–** लाभुक द्वारा 50 प्रतिशत राशि का निर्माण कार्य पूर्ण करने के पश्चात् कनीय अभियंता द्वारा चालू मापी पुस्तिका दर्ज कर सहायक अभियंता से प्रतिहस्ताक्षरित कराकर अनुदान भुगतान हेतु अनुशंसा किए जाने के उपरांत कुल अनुमान्य अनुदान राशि का 50 प्रतिशत राशि निर्धारित प्रक्रियानुसार भुगतान किया जाएगा।

v. **द्वितीय किस्त–** लाभुक द्वारा शेष 50 प्रतिशत राशि का निर्माण कार्य पूर्ण करने के पश्चात् कनीय अभियंता के द्वारा पूर्ण मापी पुस्तिका दर्ज कर सहायक अभियंता से प्रतिहस्ताक्षरित कराकर अनुदान भुगतान हेतु अनुशंसा किए जाने के उपरांत कुल अनुमान्य अनुदान राशि का शेष राशि निर्धारित प्रक्रियानुसार भुगतान किया जाएगा।

vi. **तृतीय किस्त–** मत्स्यपालन हेतु इनपुट समाग्रियों से संबंधित रसीद/अभिश्रव के जाँचोपरांत एवं मत्स्य विकास पदाधिकारी/मत्स्य प्रसार पदाधिकारी द्वारा मत्स्य संचयन संबंधित अनुशंसा के साथ फोटोग्राफ समर्पित करने के उपरांत कुल अनुमान्य इनपुट अनुदान की निर्धारित राशि का 60 प्रतिशत निर्धारित प्रक्रियानुसार भुगतान किया जाएगा।

vii. **चतुर्थ किस्त–** आवेदक द्वारा मत्स्य उत्पादन संबंधित आकड़ों का पंजी में संधारण कर कार्यालय में समर्पित किया जाएगा। तद्पश्चात् मत्स्य विकास पदाधिकारी/मत्स्य प्रसार पदाधिकारी द्वारा जाँचोपरांत संबंधित अनुशंसा के साथ फोटोग्राफ समर्पित करने के उपरांत कुल अनुमान्य इनपुट अनुदान की निर्धारित राशि का शेष 40 प्रतिशत निर्धारित प्रक्रियानुसार भुगतान किया जाएगा।

9. <u>नया तालाब एवं इनपुट का संचालन :–</u>

iii. तालाब निर्माण के उपरान्त मत्स्य बीज संचयन के प्रथम मौसम में कार्य प्रारंभ करना आवश्यक होगा एवं कठिनाई होने पर जिला मत्स्य पदाधिकारी को सूचित करेंगे तथा जिला मत्स्य पदाधिकारी कठिनाईयों का निवारण करेंगे।

iv. योजनांतर्गत निर्मित नया तालाब में न्यूनतम 5 वर्षों तक निरंतर मत्स्यपालन की जिम्मेवारी लाभुक की होगी अन्यथा अनुदान राशि की वसूली निर्धारित प्रक्रियानुसार की जाएगी। आवेदक को इस आशय का शपथ–पत्र भी संलग्न करना होगा।

रियरिंग तालाब निर्माण

1. योजना का उद्देश्य :–

रियरिंग तालाब निर्माण कर मत्स्यपालन हेतु तकनीकी के क्षैतिज विस्तार के साथ सालों भर निरन्तर गुणवत्तायुक्त मत्स्य अंगुलिकाओं की आपूर्ति मत्स्य कृषकों को सुनिश्चित करने प्रयास किया जा रहा है।

2. योजना का मुख्य बिन्दु :–

i. सरकार की योजनाओं के माध्यम से कृषकों एवं युवाओं को प्रोत्साहित कर मत्स्य व्यवसाय के लिए प्रेरित करना है।

ii. रियरिंग तालाब निर्माण का क्रियान्वयन लाभुक के द्वारा स्वंय किया जाएगा।

iii. रियरिंग तालाब निर्माण की इकाई लागत प्रति हे0 मो0 07 लाख निर्धारित है।

iv. रियरिंग तालाब निर्माण हेतु एक व्यक्ति/परिवार को अधिकतम 2 हेक्टर तथा समूह में अधिकतम 20 हेक्टर जलक्षेत्र पर अनुदान देय होगा।

3. योजना की तकनीकी विशिष्टता :–

i. रियरिंग तालाब का निर्माण 0.01 से 0.5 हेक्टर तक जलक्षेत्र के तालाबों का निर्माण करना है।

ii. रियरिंग तालाब के निर्माण हेतु भूमि तल से 5–6 फीट तक मिट्टी की कटाई की जानी है तथा विस्थापित मिट्टी का प्रयोग तालाब के बांध का निर्माण (1 : 1.5 का स्लोप) तथा सुदृढ़ीकरण हेतु करना है।

4. चयन की प्रक्रिया :–

सामान्य अनुदेश में अंकित सभी शर्तों के अनुसार चयन की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी।

5. चयन में प्राथमिकता :–

योजना अंतर्गत आवेदक को चयन में प्राथमिकता निम्न आधार पर दी जा सकेगी–

vi. क्लस्टर में दिए गए आवेदनों को प्राथमिकता दी जा सकती है।

vii. बीज उत्पादन एवं वितरण के कार्य में लगे आवेदकों को प्राथमिकता दी जा सकती है।

viii. आवेदक के प्रशिक्षित होने की स्थिति में प्राथमिकता दी जा सकती है।

ix. रियरिंग तालाब के निर्माण के पश्चात् तालाब के बांध पर एक ट्यूबवेल पम्पसेट एवं 2 एरेटर का अधिष्ठापन किया जाना है।

6. कार्य पूर्ण करने हेतु समय–सीमा :–

vii. कार्यादेश निर्गत करने के उपरान्त लाभूक को 15 दिनों के अंदर कार्य आरंभ एवं 60 दिनों के अंदर कार्य पूर्ण करना होगा। कार्य में विलम्ब की स्थिति में आवेदक को कार्य प्रारंभ करने की समय सीमा के अंदर जिला मत्स्य कार्यालय में समुचित कारण दर्शाते हुए अवधि विस्तार हेतु आवेदन समर्पित करना होगा। विलम्ब के उचित कारण की स्थिति में अधिकतम 15 दिनों तक का अवधि विस्तार जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा दिया जा सकता है।

viii. लाभुक द्वारा कार्यादेश निर्गत होने के 15 दिनों तक निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं करने की स्थिति में कारण पृच्छा नोटिस दिया जाएगा। 30 दिनों के अंदर कार्य प्रारंभ नहीं करने पर निर्गत कार्यादेश निरस्त कर लाभुक को सूचित किया जाएगा। इसकी सूचना उप मत्स्य निदेशक के माध्यम से निदेशालय को दी जाएगी।

ix. कार्यादेश निरस्त करने के उपरांत योजनान्तर्गत ऑनलाईन के माध्यम से प्राप्त आवेदनों से प्रतीक्षा सूची में अगले आवेदक को निर्धारित समय सीमा के अंदर कार्य करने हेतु कार्यादेश निर्गत किया जाएगा।

7. निर्माण कार्यों का चरण :– तालाब निर्माण का कार्य पूर्ण होने के पश्चात् समुचित जल की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे तथा तालाब की तैयारी के उपरान्त स्पॉन एवं फ्राई के संचयन तथा प्रबंधन का कार्य करेंगे।

8. <u>अनुदान का भुगतान</u> :–

योजना अंतर्गत कुल लागत राशि 7.00 लाख रूपये है तथा देय अनुदान की राशि कुल दो किस्तों मे देय होगी।

viii. प्रथम किस्त– लाभुक द्वारा 50 प्रतिशत राशि का निर्माण कार्य पूर्ण करने के पश्चात् कनीय अभियंता द्वारा चालू मापी पुस्तिका दर्ज कर सहायक अभियंता से प्रतिहस्ताक्षरित कराकर अनुदान भुगतान हेतु अनुशंसा किए जाने के उपरांत कुल अनुमान्य अनुदान राशि का 50 प्रतिशत राशि निर्धारित प्रक्रियानुसार भुगतान किया जाएगा।

ix. द्वितीय किस्त– लाभुक द्वारा शेष 50 प्रतिशत राशि का निर्माण कार्य पूर्ण करने के पश्चात् कनीय अभियंता के द्वारा पूर्ण मापी पुस्तिका दर्ज कर सहायक अभियंता से प्रतिहस्ताक्षरित कराकर अनुदान भुगतान हेतु अनुशंसा किए जाने के उपरांत कुल अनुमान्य अनुदान राशि का शेष राशि निर्धारित प्रक्रियानुसार भुगतान किया जाएगा।

9. <u>रियरिंग तालाब का संचालन</u> :–

v. तालाब निर्माण के उपरान्त मत्स्य बीज उत्पादन के प्रथम मौसम में कार्य प्रारंभ करना आवश्यक होगा। कठिनाई होने पर जिला मत्स्य पदाधिकारी को सूचित करेंगे तथा जिला मत्स्य पदाधिकारी कठिनाईयों का निवारण करेंगे।

vi. योजनांतर्गत निर्मित रियरिंग तालाब में न्यूनतम 5 वर्षों तक निरंतर मत्स्य बीज उत्पादन की जिम्मेवारी लाभुक की होगी अन्यथा अनुदान राशि की वसूली निर्धारित प्रक्रियानुसार की जाएगी। आवेदक को इस आशय का शपथ–पत्र भी संलग्न करना होगा।

बायोफ्लॉक तालाब निर्माण

3. योजना का उद्देश्य :–

बायोफ्लॉक तालाब निर्माण का उद्देश्य नई वैज्ञानिक पद्धति आधारित More Crop Per Drop के सिद्धांत पर गहन मत्स्यपालन करना है। प्रो–बायोटिक का प्रयोग कर तथा जल के विभिन्न पारामीटर को नियंत्रित कर अपशिष्ट पदार्थों को मत्स्य आहार में परिवर्तित कर कम जगह, कम जल, एवं कम खर्च में अधिक उत्पादन किया जाना है। जल–संरक्षण के साथ–साथ कृषकों के आय में वृद्धि एवं सुदूर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना है।

2. योजना का मुख्य बिन्दु :–

i. बायोफ्लॉक तालाब निर्माण का क्रियान्वयन लाभुक के द्वारा स्वंय किया जाएगा।

ii. बायोफ्लॉक तालाब निर्माण की इकाई लागत मो0 14 लाख (जिसमें 04 लाख प्रति इकाई इनपुट) निर्धारित है।

iii. बायोफ्लॉक तालाब निर्माण इकाई का जलक्षेत्र 0.1 हे0 है। इसके लिए 0.15 हेक्टर भूमि अनिवार्य है।

iv. एक व्यक्ति/परिवार को अधिकतम 2 इकाई तथा समूह को प्रति व्यक्ति के आधार पर अधिकतम 20 इकाई देय होगा।

3. योजना की तकनीकी विशिष्टता :–

i. बायोफ्लॉक तालाब का इकाई जलक्षेत्र 0.1 हे0 में निर्माण किया जाना है।

ii. बायोफ्लॉक तालाब निर्माण के पश्चात् पॉलीथीलिन लाइनिंग, 5 एच0पी0 क्षमता के एयर ब्लोअर, पी0वी0सी0 पाइप, एरेशन ट्यूब, चार पैडल व्हील एरेटर, 5 इंच के बोरवेल के साथ 3 एच0पी0 क्षमता के पम्पसेट, सोलर पावर 4 बैटरी एवं इन्वर्टर के साथ अथवा 10 के0वी0ए0 जेनेरेटर एवं विद्युत के अधिष्ठापन के साथ वाचमैन शेड एवं स्टोर रूम का निर्माण किया जाना है।

iii. बायोफ्लॉक तालाब निर्माण के पश्चात् मत्स्य अंगुलिका, फिश फीड, दवा, वाटर टेस्टिंग किट, जाल, वेइंग बैलेंस एवं केमिकल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना आवश्यक है।

4. चयन की प्रक्रिया :–

सामान्य अनुदेश में अंकित सभी शर्तों के अनुसार चयन की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी।

5. चयन में प्राथमिकता :–

योजना अंतर्गत आवेदक को चयन में प्राथमिकता निम्न आधार पर दी जा सकेगी–

x. मत्स्यपालन से जुड़े आवेदकों को प्राथमिकता दी जा सकती है।

xi. आवेदक के प्रशिक्षित होने की स्थिति में प्राथमिकता दी जा सकती है।

6. <u>कार्य पूर्ण करने हेतु समय–सीमा</u> :–

x. कार्यादेश निर्गत करने के उपरान्त लाभुक को 15 दिनों के अंदर कार्य आरंभ एवं 60 दिनों के अंदर कार्य पूर्ण करना होगा। कार्य में विलम्ब की स्थिति में आवेदक को कार्य प्रारंभ करने की समय सीमा के अंदर जिला मत्स्य कार्यालय में समुचित कारण दर्शाते हुए अवधि विस्तार हेतु आवेदन समर्पित करना होगा। विलम्ब के उचित कारण की स्थिति में अधिकतम 15 दिनों तक का अवधि विस्तार जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा दिया जा सकता है।

xi. लाभुक द्वारा कार्यादेश निर्गत होने के 15 दिनों तक निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं करने की स्थिति में कारण पृच्छा नोटिस दिया जाएगा। 30 दिनों के अंदर कार्य प्रारंभ नहीं करने पर निर्गत कार्यादेश निरस्त कर लाभुक को सूचित किया जाएगा। इसकी सूचना उप मत्स्य निदेशक के माध्यम से निदेशालय को दी जाएगी।

xii. कार्यादेश निरस्त करने के उपरांत योजनान्तर्गत ऑनलाईन के माध्यम से प्राप्त आवेदनों से प्रतीक्षा सूची में अगले आवेदक को निर्धारित समय सीमा के अंदर कार्य करने हेतु कार्यादेश निर्गत किया जाएगा।

7. निर्माण कार्यों का चरण :– तालाब निर्माण का कार्य पूर्ण होने के पश्चात् पी–लाइनिंग लगाएंगे। बोरवेल का अधिष्ठापन एवं बिजली की व्यवस्था के पश्चात् एयर ब्लोअर (पाइपलाइन सहित) एवं एयरेटर एवं अन्य सभी उपकरणों का अधिष्ठापन करेंगे। समुचित जल की व्यवस्था सुनिश्चित कर मत्स्य बीज के संचयन करेंगे तथा प्रोबायोटिक, रासायन, दवा, मत्स्य आहार एवं अन्य सभी इनपुट सामग्री का क्रय करेंगे। बायोफ्लॉक तालाब का संचालन कुशलतापूर्वक करेंगे।

8. <u>अनुदान का भुगतान</u> :–

योजना अंतर्गत कुल लागत राशि अधिकतम 14.00 लाख (निर्माण कार्य एवं इनपुट हेतु क्रमशः 10. 00 लाख एवं 4.00 लाख) रूपये है तथा देय अनुदान की राशि कुल चार किस्तों मे देय होगी।

x. प्रथम किस्त– लाभुक द्वारा तालाब का निर्माण/क्रय के 50 प्रतिशत राशि (अधिकतम 5.00 लाख रूपये) का निर्माण कार्य पूर्ण करने के पश्चात् कनीय अभियंता/मत्स्य विकास पदाधिकारी/मत्स्य प्रसार पदाधिकारी के अनुशंसा के उपरांत निर्माण हेतु कुल अनुमान्य अनुदान का 50 प्रतिशत राशि निर्धारित प्रक्रियानुसार भुगतान किया जाएगा।

xi. द्वितीय किस्त– लाभुक द्वारा तालाब का निर्माण/क्रय के 50 प्रतिशत राशि (अधिकतम 5.00 लाख रूपये) का निर्माण कार्य पूर्ण करने के पश्चात् कनीय अभियंता/मत्स्य विकास पदाधिकारी/मत्स्य प्रसार पदाधिकारी के अनुशंसा के उपरांत निर्माण हेतु अनुमान्य अनुदान का शेष 50 प्रतिशत राशि निर्धारित प्रक्रियानुसार भुगतान किया जाएगा।

xii. **तृतीय किस्त–** मत्स्य बीज संचयन तथा क्रय किए गए इनपुट सामग्री के सभी प्रमाणको एवं अभिश्रवों के जाँचोपरान्त एवं संचालन प्रारंभ होने से संबंधित कनीय अभियंता/मत्स्य विकास पदाधिकारी/मत्स्य प्रसार पदाधिकारी के अनुशंसा के बाद इनपुट (अधिकतम 4.00 लाख रूपये) हेतु देय अनुदान की राशि का 60 प्रतिशत निर्धारित प्रक्रियानुसार भुगतान किया जाएगा।

xiii. **चतुर्थ किस्त–** आवेदक द्वारा मत्स्य उत्पादन संबंधित आकड़ों का पंजी में संधारण कर कार्यालय में समर्पित किया जाएगा। तद्पश्चात् मत्स्य विकास पदाधिकारी/मत्स्य प्रसार पदाधिकारी द्वारा जाँचोपरांत संबंधित अनुशंसा के साथ फोटोग्राफ समर्पित करने के उपरांत कुल अनुमान्य इनपुट अनुदान की निर्धारित राशि का शेष 40 प्रतिशत निर्धारित प्रक्रियानुसार भुगतान किया जाएगा।

9. <u>बायोफ्लॉक तालाब का संचालन :–</u>

vii. तालाब निर्माण के उपरान्त मत्स्य बीज संचयन के प्रथम मौसम में कार्य प्रारंभ करना आवश्यक होगा एवं कठिनाई होने पर जिला मत्स्य पदाधिकारी को सूचित करेंगे तथा जिला मत्स्य पदाधिकारी कठिनाईयों का निवारण करेंगे।

viii. योजनांतर्गत निर्मित बायोफ्लॉक तालाब में न्यूनतम 5 वर्षों तक निरंतर मत्स्यपालन की जिम्मेवारी लाभुक की होगी अन्यथा अनुदान राशि की वसूली निर्धारित प्रक्रियानुसार की जाएगी। आवेदक को इस आशय का शपथ–पत्र भी संलग्न करना होगा।

लघु आकार के आर0ए0एस0 (100 घन मी0 का 1 टैंक)

1. योजना का उद्देश्य :–

बढ़ती जनसंख्या हेतु खाद्य एवं प्राटीन सुरक्षा के मद्देनजर जलकृषि एक बेहतर विकल्प है। आर0ए0एस0 इकाईयों के निर्माण का उद्देश्य राज्य के प्रगतिशील मत्स्य कृषकों को नई वैज्ञानिक पद्धति आधारित कम जमीन एवं कम जल में गहन मत्स्यपालन के द्वारा मछलियों का उत्पादन सुनिश्चित करना है। आर0ए0एस0 तकनीक सघन मत्स्यपालन की नवीनतम तकनीक है जिसमें पानी का निरंतर शुद्धिकरण कर पुनः उपयोग में लाया जाता है। बढ़ती हुई आबादी एवं मांग की पूर्ति इस तकनीक से कुछ हद तक पूरी की जा सकती है। साथ ही साथ इस मत्स्य व्यवसाय से जुड़े उधैमियों के लिए नवाचार का रास्ता प्रशस्त किया जा सकेगा। इस योजना के क्रियान्वयन से राज्य के मत्स्य उत्पादन में अभिवृद्धि, मत्स्य कृषकों के वार्षिक आय में वृद्धि के साथ–साथ रोजगार का सृजन भी हो सकेगा।

2. योजना का मुख्य बिन्दु :–

i. मत्स्य पालन हेतु लघु आकार के आर0ए0एस0 (100 घन मी0 का 1 टैंक) का अधिष्ठापन लाभुक के द्वारा स्वंय किया जाएगा।

ii. निजी या निबंधित पट्टे की भूमि पर आर0ए0एस0 का अधिष्ठापन कर योजना अन्तर्गत लाभ लिया जा सकता है।

iii. मत्स्य पालन हेतु लघु आकार के आर0ए0एस0 (100 घन मी0 का 1 टैंक) की इकाई लागत मो0 7.50 लाख रूपये निर्धारित है। 100 घन मी0 में 10,000 अंगुलिकाओं का संचयन किया जा सकेगा।

iv. एक व्यक्ति/परिवार को अधिकतम 1 इकाई एवं समूह में अधिकतम 4 इकाई की अनुमान्यता होगी।

3. योजना की विशिष्टता :–

i. लघु आकार के आर0ए0एस0 (100 घन मीटर का 1 टैंक) का निर्माण 6.7 मीटर X 6.7 मीटर X 2.0 मीटर में करना है, जिसके लिए न्यूनतम 150 वर्ग मीटर भूमि की आवश्यकता है।

ii. लघु आकार के आर0ए0एस0 (100 घन मी0 का 1 टैंक) का निर्माण अंतर्गत 30 घन मीटर जल संचयन क्षमता वाले टैंक, ड्रेनेज सिस्टम, सैंड फिल्टर, ड्रम फिल्टर, बायोलॉजिकल फिल्टर, यू0वी0 फिल्टर, 5 एच0पी0 क्षमता के एयर/रूट ब्लोअर, विद्युत कनेक्शन आदि का अधिष्ठापन किया जाना है।

iii. लघु आकार के आर0ए0एस0 (100 घन मी0 का 1 टैंक) का निर्माण की योजना अंतर्गत 3–5 इंच के 10,000 अगुलिकाओं के संचयन एवं पालन करना है।

4. चयन की प्रक्रिया :–

सामान्य अनुदेश में अंकित सभी शर्तों के अनुसार चयन की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी।

5. चयन में प्राथमिकता :–

योजना अंतर्गत आवेदक को चयन में प्राथमिकता निम्न आधार पर दी जा सकेगी–

xii. मत्स्यपालन से जुड़े आवेदकों को प्राथमिकता दी जा सकती है।

xiii. आवेदक के प्रशिक्षित होने की स्थिति में प्राथमिकता दी जा सकती है।

6. कार्य पूर्ण करने हेतु समय–सीमा :–

xiii. कार्यादेश निर्गत करने के उपरान्त लाभूक को 15 दिनों के अंदर कार्य आरंभ एवं 60 दिनों के अंदर कार्य पूर्ण करना होगा। कार्य में विलम्ब की स्थिति में आवेदक को कार्य प्रारंभ करने की समय सीमा के अंदर जिला मत्स्य कार्यालय में समुचित कारण दर्शाते हुए अवधि विस्तार हेतु आवेदन समर्पित करना होगा। विलम्ब के उचित कारण की स्थिति में अधिकतम 15 दिनों तक का अवधि विस्तार जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा दिया जा सकता है।

xiv. लाभुक द्वारा कार्यादेश निर्गत होने के 15 दिनों तक निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं करने की स्थिति में कारण पृच्छा नोटिस दिया जाएगा। 30 दिनों के अंदर कार्य प्रारंभ नहीं करने पर निर्गत कार्यादेश निरस्त कर लाभुक को सूचित किया जाएगा। इसकी सूचना उप मत्स्य निदेशक के माध्यम से निदेशालय को दी जाएगी।

xv. कार्यादेश निरस्त करने के उपरांत योजनान्तर्गत ऑनलाईन के माध्यम से प्राप्त आवेदनों से प्रतीक्षा सूची में अगले आवेदक को निर्धारित समय सीमा के अंदर कार्य करने हेतु कार्यादेश निर्गत किया जाएगा।

7. निर्माण कार्यों का चरण :– बोरवेल, तालाब के निर्माण, टैंक एवं ड्रेनेज सिस्टम का कार्य पूर्ण होने के पश्चात् सैंड फिल्टर, ड्रम फिल्टर, बायोलॉजिकल फिल्टर, यू0वी0 फिल्टर, 5 एच0पी0 क्षमता के एयर/रूट ब्लोअर, विद्युत कनेक्शन आदि का अधिष्ठापन किया जाएगा। मत्स्य बीज के संचयन तथा सभी इनपुट सामग्री का क्रय करेंगे एवं आर0ए0एस0 का संचालन करेंगे।

8. अनुदान का भुगतान :–

योजना अंतर्गत कुल लागत राशि अधिकतम 7.50 लाख (निर्माण कार्य एवं इनपुट हेतु क्रमशः 6.00 लाख एवं 1.50 लाख) रूपये है तथा देय अनुदान की राशि कुल चार किस्तों मे देय होगी।

xiv. **प्रथम किस्त–** लाभुक द्वारा निर्माण के 50 प्रतिशत राशि (अधिकतम 3.00 लाख रूपये) का निर्माण कार्य पूर्ण करने के पश्चात् कनीय अभियंता/मत्स्य विकास पदाधिकारी/मत्स्य प्रसार पदाधिकारी के अनुशंसा के उपरांत निर्माण हेतु कुल अनुमान्य अनुदान का 50 प्रतिशत राशि निर्धारित प्रक्रियानुसार भुगतान किया जाएगा।

xv. **द्वितीय किस्त–** लाभुक द्वारा तालाब का निर्माण के 50 प्रतिशत राशि (अधिकतम 3.00 लाख रूपये) का निर्माण कार्य पूर्ण करने के पश्चात् कनीय अभियंता/मत्स्य विकास पदाधिकारी/मत्स्य प्रसार पदाधिकारी के अनुशंसा के उपरांत निर्माण हेतु अनुमान्य अनुदान का शेष 50 प्रतिशत राशि निर्धारित प्रक्रियानुसार भुगतान किया जाएगा।

xvi. **तृतीय किस्त–** मत्स्य बीज संचयन तथा क्रय किए गए इनपुट सामग्री के सभी प्रमाणको एवं अभिश्रवों के जाँचोपरान्त एवं संचालन प्रारंभ होने से संबंधित कनीय अभियंता/मत्स्य विकास पदाधिकारी/मत्स्य प्रसार पदाधिकारी के अनुशंसा के बाद इनपुट (अधिकतम 1.50 लाख रूपये) हेतु देय अनुदान की राशि का 60 प्रतिशत निर्धारित प्रक्रियानुसार भुगतान किया जाएगा।

xvii. **चतुर्थ किस्त–** आवेदक द्वारा मत्स्य उत्पादन संबंधित आकड़ों का पंजी में संधारण कर कार्यालय में समर्पित किया जाएगा। तद्पश्चात् मत्स्य विकास पदाधिकारी/मत्स्य प्रसार पदाधिकारी द्वारा जाँचोपरांत संबंधित अनुशंसा के साथ फोटोग्राफ समर्पित करने के उपरांत कुल अनुमान्य इनपुट अनुदान की निर्धारित राशि का शेष 40 प्रतिशत निर्धारित प्रक्रियानुसार भुगतान किया जाएगा।

9. <u>आर0ए0एस0 (100 घन मी0 का 1 टैंक) का संचालन :–</u>

ix. आर0ए0एस0 अधिष्ठापन के उपरान्त मत्स्य बीज संचयन के प्रथम मौसम में कार्य प्रारंभ करना आवश्यक होगा एवं कठिनाई होने पर जिला मत्स्य पदाधिकारी को सूचित करेंगे तथा जिला मत्स्य पदाधिकारी कठिनाईयों का निवारण करेंगे।

x. योजनांतर्गत निर्मित आर0ए0एस0 में न्यूनतम 3 वर्षों तक निरंतर मत्स्यपालन की जिम्मेवारी लाभुक की होगी अन्यथा अनुदान राशि की वसूली निर्धारित प्रक्रियानुसार की जाएगी। आवेदक को इस आशय का शपथ–पत्र भी संलग्न करना होगा।

लघु बायोफ्लॉक का अधिष्ठापन (4 मी0 व्यास का 7 टैंक, ऊँ0 1.5 मी0)

1. योजना का उद्देश्य :–

बढ़ती जनसंख्या हेतु खाद्य एवं प्रोटीन सुरक्षा के मद्देनजर जलकृषि एक बेहतर विकल्प है। बायोफ्लॉक इकाईयों के निर्माण का उद्देश्य राज्य के प्रगतिशील मत्स्य कृषकों को नई वैज्ञानिक पद्धति आधारित कम जमीन एवं कम जल में गहन मत्स्यपालन के द्वारा खाने योग्य मछलियों का उत्पादन सुनिश्चित करना है। राज्य की बड़ी जनसंख्या मत्स्य व्यवसाय से जुड़ी हुई है। इस योजना के क्रियान्वयन से राज्य के मत्स्य उत्पादन में अभिवृद्धि तथा मत्स्य कृषकों के वार्षिक आय में वृद्धि के साथ–साथ रोजगार का सृजन भी हो सकेगा।

2. योजना का मुख्य बिन्दु :–

- **i.** मत्स्य पालन हेतु लघु आकार के लघु बायोफ्लॉक का अधिष्ठापन लाभुक के द्वारा स्वंय किया जाएगा।
- **ii.** मत्स्य पालन हेतु लघु आकार के लघु बायोफ्लॉक का अधिष्ठापन की इकाई लागत मो0 7.50 लाख निर्धारित है।
- **iii.** एक व्यक्ति/परिवार को अधिकतम 1 इकाई एवं समूह में अधिकतम 4 इकाई की अनुमान्यता होगी।

3. योजना की विशिष्टता :–

- **i.** लघु बायोफ्लॉक के अधिष्ठापन हेतु 4 मी0 व्यास तथा 1.5 मी0 ऊँचाई के 7 टैंकों का निर्माण करना है, जिसके लिए 5000 वर्ग फीट भूमि की आवश्यकता होगी।
- **ii.** लघु बायोफ्लॉक के निर्माण कार्य में सिमेन्ट टैंक अथवा लोहे के मेश पर प्रौटेक्टिंग शीट तथा टारपौलिन का प्रयोग किया जाना है।
- **iii.** लघु बायोफ्लॉक का अधिष्ठापन में निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात् 2 एच0पी0 क्षमता के ब्लोअर एवं संबधित सामग्री, जल विश्लेषण मास्टर किट, डी0ओ0, अल्कलिनिटी एवं सैलिनिटी विश्लेषण किट, रिफ्रैक्टोमीटर, टी0डी0एस0 मीटर, पी0एच0 मीटर, थर्मामीटर, डिजिटल हाईड्रोमीटर, ग्लासवेयर, आदि का अधिष्ठापन आवश्यक है।
- **iv.** लघु बायोफ्लॉक का अधिष्ठापन में ग्रीन नेट का शेड, वाटर पम्प, विद्युत, पावर जेनेरेटर, आदि का प्रयोग आवश्यक है।

4. चयन की प्रक्रिया :–

सामान्य अनुदेश में अंकित सभी शर्तों के अनुसार चयन की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी।

5. चयन में प्राथमिकता :–

जिला में पूर्व से अधिष्ठापित बायोफ्लॉक इकाईयों की संख्या एवं अतिरिक्त बायोफ्लॉक इकाईयों की आवश्यकता का आकलन किया जाएगा। प्राथमिकता निम्न आधार पर दी जा सकेगी–

xiv. मत्स्यपालन कार्य से जुड़े आवेदको को चयन में प्राथमिकता दी जा सकती है।

xv. आवेदक के प्रशिक्षित होने की स्थिति में प्राथमिकता दी जा सकती है।

6. कार्य पूर्ण करने हेतु समय–सीमा :–

xvi. कार्यादेश निर्गत करने के उपरान्त लाभुक को 15 दिनों के अंदर कार्य आरंभ एवं 60 दिनों के अंदर कार्य पूर्ण करना होगा। कार्य में विलम्ब की स्थिति में आवेदक को कार्य प्रारंभ करने की समय सीमा के अंदर जिला मत्स्य कार्यालय में समुचित कारण दर्शाते हुए अवधि विस्तार हेतु आवेदन समर्पित करना होगा। विलम्ब के उचित कारण की स्थिति में अधिकतम 15 दिनों तक का अवधि विस्तार जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा दिया जा सकता है।

xvii. लाभुक द्वारा कार्यादेश निर्गत होने के 15 दिनों तक निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं करने की स्थिति में कारण पृच्छा नोटिस दिया जाएगा। 45 दिनों के अंदर कार्य प्रारंभ नहीं करने पर निर्गत कार्यादेश निरस्त कर लाभुक को सूचित किया जाएगा। इसकी सूचना उप मत्स्य निदेशक के माध्यम से निदेशालय को दी जाएगी।

xviii. कार्यादेश निरस्त करने के उपरांत योजनान्तर्गत ऑनलाईन के माध्यम से प्राप्त आवेदनों से प्रतीक्षा सूची में अगले आवेदक को निर्धारित समय सीमा के अंदर कार्य करने हेतु कार्यादेश निर्गत किया जाएगा।

7. निर्माण कार्यों का चरण :– टैंक निर्माण का कार्य पूर्ण होने के पश्चात् सभी उपकरणों का अधिष्ठापन करेंगे। समुचित जल की व्यवस्था सुनिश्चित कर मत्स्य बीज के संचयन कर बायोफ्लॉक का संचालन करेंगे।

8. अनुदान का भुगतान :–

योजना अंतर्गत कुल लागत राशि अधिकतम 7.50 लाख (निर्माण कार्य एवं इनपुट हेतु क्रमशः 6.00 लाख एवं 1.50 लाख) रूपये है तथा देय अनुदान की राशि कुल चार किस्तों मे देय होगी।

xviii. प्रथम किस्त– लाभुक द्वारा निर्माण के 50 प्रतिशत राशि (अधिकतम 3.00 लाख रूपये) का निर्माण कार्य पूर्ण करने के पश्चात् कनीय अभियंता/मत्स्य विकास पदाधिकारी/मत्स्य प्रसार पदाधिकारी के अनुशंसा के उपरांत निर्माण हेतु कुल अनुमान्य अनुदान का 50 प्रतिशत राशि निर्धारित प्रक्रियानुसार भुगतान किया जाएगा।

xix. द्वितीय किस्त– लाभुक द्वारा तालाब का निर्माण के 50 प्रतिशत राशि (अधिकतम 3.00 लाख रूपये) का निर्माण कार्य पूर्ण करने के पश्चात् कनीय अभियंता/मत्स्य विकास पदाधिकारी/मत्स्य

प्रसार पदाधिकारी के अनुशंसा के उपरांत निर्माण हेतु अनुमान्य अनुदान का शेष 50 प्रतिशत राशि निर्धारित प्रक्रियानुसार भुगतान किया जाएगा।

xx. **तृतीय किस्त–** मत्स्य बीज संचयन तथा क्रय किए गए इनपुट सामग्री के सभी प्रमाणको एवं अभिश्रवों के जाँचोपरान्त एवं संचालन प्रारंभ होने से संबंधित कनीय अभियंता/मत्स्य विकास पदाधिकारी/मत्स्य प्रसार पदाधिकारी के अनुशंसा के बाद इनपुट (अधिकतम 1.50 लाख रूपये) हेतु देय अनुदान की राशि का 60 प्रतिशत निर्धारित प्रक्रियानुसार भुगतान किया जाएगा।

xxi. **चतुर्थ किस्त–** आवेदक द्वारा मत्स्य उत्पादन संबंधित आकड़ों का पंजी में संधारण कर कार्यालय में समर्पित किया जाएगा। तद्पश्चात् मत्स्य विकास पदाधिकारी/मत्स्य प्रसार पदाधिकारी द्वारा जाँचोपरांत संबंधित अनुशंसा के साथ फोटोग्राफ समर्पित करने के उपरांत कुल अनुमान्य इनपुट अनुदान की निर्धारित राशि का शेष 40 प्रतिशत निर्धारित प्रक्रियानुसार भुगतान किया जाएगा।

9. <u>लघु बायोफ्लॉक का संचालन :–</u>

xi. लघु बायोफ्लॉक अधिष्ठापन के उपरान्त मत्स्य बीज संचयन के प्रथम मौसम में कार्य प्रारंभ करना आवश्यक होगा। कठिनाई होने पर जिला मत्स्य पदाधिकारी को सूचित करेंगे तथा जिला मत्स्य पदाधिकारी कठिनाईयों का निवारण करेंगे।

xii. योजनांतर्गत निर्मित लघु बायोफ्लॉक में न्यूनतम 3 वर्षों तक निरंतर मत्स्यपालन की जिम्मेवारी लाभुक की होगी अन्यथा अनुदान राशि की वसूली निर्धारित प्रक्रियानुसार की जाएगी। आवेदक को इस आशय का शपथ–पत्र भी संलग्न करना होगा।

लघु, मध्यम एवं समेकित अलंकारी मछलियों का संवर्द्धन

1. योजना का उद्देश्य :–

फोटोग्राफी के बाद एक्वेरियम में अलंकारी मछलियों को रखने का शौक दुनिया की सबसे बड़ी अभिरूचि है। अभिरूचि के साथ एक्वेरियम में अलंकारी मछलियों को रखने से हृदय, तनाव एवं मानसिक रोगों के होने का खतरा कम होता है। एक्वेरियम में अलंकारी मछलियों को रखने वाले लोगो की संख्या में प्रति वर्ष वृद्धि हो रही है। राज्य में अलंकारी मछलियों का संवर्द्धन नहीं होने के कारण अलंकारी मछलियों का व्यवसाय पूर्णरूपेण अन्य राज्यों से आयात पर निर्भर है। इन तथ्यों को दृष्टिपथ में रखते हुए राज्य में अलंकारी मछलियों की सुलभता के साथ उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लघु, मध्यम एवं समेकित अलंकारी मछलियों के संवर्द्धन की इकाईयों का निर्माण इस योजना अंतर्गत किया जाएगा। इससे अलंकारी मछली विक्रेताओं एवं उपभोक्ताओं को उचित मूल्य में अलंकारी मछलियों की आपूर्ति हो सकेगी। साथ हीं साथ इन मछलियों के परिवहन में होने वाले मृत्यु दर में काफी कमी आएगी। इससे आय में अभिवृद्धि एवं अतिरिक्त रोजगार का सृजन हो सकेगा।

2. योजना का मुख्य बिन्दु :–

i. लघु, मध्यम एवं समेकित अलंकारी मछलियों का संवर्द्धन लाभुक के द्वारा स्वंय किया जाएगा।

ii. निजी या निबंधित पट्टे पर लघु, मध्यम एवं समेकित अलंकारी मछलियों का संवर्द्धन कर योजना अन्तर्गत लाभ लिया जा सकता है।

iii. योजनांतर्गत एक लाभुक/परिवार को तीनों में से किसी 1 इकाई की अनुमान्यता होगी।

3. योजना की तकनीकी विशिष्टता :–

i. लघु/बैकयार्ड अलंकारी मछलियों का संवर्द्धन इकाई के निर्माण हेतु 1200 वर्ग फीट भूमि की आवश्यकता है, जिसमें 1.2 मीटर व्यास के 6 टैंक तथा 500 लीटर के 4 टैंक, ग्रीन नेट के साथ शेड का निर्माण, 500 लीटर का जल संचय टैंक, बोरवेल के साथ 0.5 एच0 पी0 का पम्पसेट, एरेटर, थर्मोस्टैट हीटर (300 वाट के 6 तथा 200 वाट के 4), 2 डिजिटल तापमान मापक, वाटर एनालिसिस किट, ऑक्सीजन सिलिन्डर, लाइव फीड कल्चर टैंक, जल आपूर्ति तथा विद्युत आपूर्ति का अधिष्ठापन किया जाना है।

ii. मध्यम आकार का अलंकारी मछलियों का संवर्द्धन इकाई के निर्माण हेतु 2000 वर्ग फीट भूमि की आवश्यकता है, जिसमें 1.2 मीटर व्यास के 12 टैंक, 500 लीटर के 6 टैंक तथा 24 इंच X 15 इंच X 15 इंच के 12 काँच के एक्वेरियम का निर्माण किया जाना है।

iii. मध्यम आकार का अलंकारी मछलियों का संवर्द्धन इकाई में 25 प्रतिशत पारदर्शिता के साथ स्थायी शेड का निर्माण, 1000 लीटर का जल संचय टैंक, बोरवेल के साथ 1 एच0 पी0 का पम्पसेट, एरेटर, थर्मोस्टैट हीटर (300 वाट के 12 तथा 200 वाट के 6), 2 डिजिटल तापमान मापक, 1 बाह्य फिल्टर, वाटर एनालिसिस किट, टैंक हेतु जाल, हैण्ड नेट, ऑक्सीजन सिलिन्डर, लाइव फीड कल्चर टैंक, जल आपूर्ति तथा विद्युत आपूर्ति का अधिष्ठापन की आवश्यकता है।

iv. समेकित अलंकारी मछलियों की इकाई के निर्माण हेतु 6000 वर्ग फीट भूमि की आवश्यकता है, जिसमें 1200 लीटर के 12 टैंक, 1.2 मीटर व्यास के 6 टैंक, 0.6 वर्ग मीटर व्यास के 12 टैंक, 0.3 मीटर व्यास के 12 टैंक, 24 इंच X 15 इंच X 15 इंच के 24 काँच के एक्वेरियम, 12 इंच X 12 इंच X 12 इंच के 24 कॉच के एक्वेरियम 36 इंच X 15 इंच X 15 इंच के 12 काँच के एक्वेरियम, 48 इंच X 15 इंच X 15 इंच के 12 काँच के एक्वेरियम तथा 24 इंच X 6 इंच X 6 इंच के 12 काँच के एक्वेरियम टैंको का निर्माण किया जाएगा।

v. समेकित अलंकारी मछलियों की इकाई में 25 प्रतिशत पारदर्शिता के साथ स्थायी शेड का निर्माण, 2000 लीटर का जल संचय टैंक, बोरवेल के साथ 2 एच0 पी0 का सबमर्सिबल पम्पसेट, 2 एरेटर, 0.2 एच0 पी0 का 1 पम्प, 0.2 एच0 पी0 का 2 शिफ्ट पम्प, थर्मोस्टैट हीटर (300 वाट के 24, 200 वाट के 24 तथा 50 वाट के 24), 50 डिजिटल तापमान मापक, वाटर एनालिसिस किट, 1 इन्वर्टर, टैंक हेतु जाल, हैण्ड नेट, ऑक्सीजन सिलिन्डर, लाइव फीड कल्चर टैंक, जल आपूर्ति तथा विद्युत आपूर्ति का अधिष्ठापन अनिवार्य है।

4. चयन की प्रक्रिया :–

सामान्य अनुदेश में अंकित सभी शर्तों के अनुसार चयन की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। महिला आवेदकों को चयन में प्राथमिकता दी जाएगी।

5. <u>चयन में प्राथमिकता :–</u>

जिले में पूर्व से अलंकारी मछलियों की आवश्यकता के आधार पर प्राथमिकता निर्धारित की जा सकेगी। प्राथमिकता निम्न आधार पर दी जा सकेगी–

xvi. मत्स्यपालन कार्य से जुड़े आवेदकों को चयन में प्राथमिकता दी जा सकती है।

xvii. आवेदक के प्रशिक्षित होने की स्थिति में प्राथमिकता दी जा सकती है।

6. <u>कार्य पूर्ण करने हेतु समय–सीमा :–</u>

xix. कार्यादेश निर्गत करने के उपरान्त लाभूक को 15 दिनों के अंदर कार्य आरंभ एवं 60 दिनों के अंदर कार्य पूर्ण करना होगा। कार्य में विलम्ब की स्थिति में आवेदक को कार्य प्रारंभ करने की समय सीमा के अंदर जिला मत्स्य कार्यालय में समुचित कारण दर्शाते हुए अवधि विस्तार हेतु आवेदन समर्पित करना होगा। विलम्ब के उचित कारण की स्थिति में अधिकतम 30 दिनों तक का अवधि विस्तार जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा दिया जा सकता है।

xx. लाभुक द्वारा कार्यादेश निर्गत होने के 15 दिनों तक निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं करने की स्थिति में कारण पृच्छा नोटिस दिया जाएगा। 30 दिनों के अंदर कार्य प्रारंभ नहीं करने पर निर्गत कार्यादेश निरस्त कर लाभुक को सूचित किया जाएगा। इसकी सूचना उप मत्स्य निदेशक के माध्यम से निदेशालय को दी जाएगी।

xxi. कार्यादेश निरस्त करने के उपरांत योजनान्तर्गत ऑनलाईन के माध्यम से प्राप्त आवेदनों से प्रतीक्षा सूची में अगले आवेदक को निर्धारित समय सीमा के अंदर कार्य करने हेतु कार्यादेश निर्गत किया जाएगा।

7. निर्माण कार्यों का चरण :– आवेदक द्वारा सर्वप्रथम प्लैटफॉर्म तैयाार कर टैंक एवं शेड का निमार्ण किया जाएगा। निर्माण का कार्य पूर्ण होने के पश्चात् सभी उपकरणों का अधिष्ठापन करेंगे। समुचित

जल की व्यवस्था सुनिश्चित कर अलंकारी मत्स्य बीज के संचयन तथा सभी इनपुट सामग्री का क्रय करेंगे एवं संचालन करेंगे।

8. <u>अनुदान का भुगतान</u> :–

योजना अंतर्गत बैकयार्ड, मध्यम एवं समेकित अलंकारी मछलियों का संवर्द्धन इकाई हेतु अधिकतम लागत राशि क्रमशः 3.00 लाख, 8.00 लाख एवं 25.00 लाख रूपये निर्धारित है तथा देय अनुदान की राशि कुल दो किस्तों मे देय होगी।

xxii. प्रथम किस्त– टैंक एवं शेड निर्माण एवं उपकरणों के अधिष्ठापन का 50 प्रतिशत राशि हेतु कार्य पूर्ण होने पर प्रमाणकों एवं अभिश्रवों के जाँचोपरान्त कनीय अभियंता/मत्स्य विकास पदाधिकारी/मत्स्य प्रसार पदाधिकारी के अनुशंसा के उपरांत कुल अनुमान्य अनुदान का 50 प्रतिशत राशि निर्धारित प्रक्रियानुसार भुगतान किया जाएगा।

xxiii. द्वितीय किस्त– टैंक एवं शेड निर्माण एवं सभी उपकरणों के अधिष्ठापन का निर्माण कार्य पूर्ण होने एवं समेकित अलंकारिक मत्स्य संवर्धन की इकाई मे अलंकारी मछली के ब्रूडर तथा शेष दोनों इकाई में अलंकारी मत्स्य बीज संचयन के पश्चात् सभी प्रमाणकों एवं अभिश्रवों के जाँचोपरान्त एवं कनीय अभियंता/मत्स्य विकास पदाधिकारी/मत्स्य प्रसार पदाधिकारी के अनुशंसा के बाद शेष अनुदान की राशि का निर्धारित प्रक्रियानुसार भुगतान किया जाएगा।

9. <u>डायमेन्सन एण्ड डिजाईन :–</u> उपरोक्त तीनों अवयवों का डायमेन्सन एण्ड डिजाईन अलग से प्रचारित किया जाएगा।

10. <u>अलंकारी मछलियों के संवर्द्धन इकाई का संचालन :–</u>

xiii. इकाई के निर्माण के उपरान्त अलंकारी मत्स्य ब्रूडर अथवा बीज संचयन का कार्य प्रारंभ करना आवश्यक होगा। कठिनाई होने पर जिला मत्स्य पदाधिकारी को सूचित करेंगे तथा जिला मत्स्य पदाधिकारी कठिनाईयों का निवारण करेंगे।

xiv. योजनांतर्गत निर्मित अलंकारी मछलियों के संवर्द्धन इकाई में न्यूनतम 3 वर्षों तक निरंतर मत्स्यपालन की जिम्मेवारी लाभुक की होगी अन्यथा अनुदान राशि की वसूली निर्धारित प्रक्रियानुसार की जाएगी। आवेदक को इस आशय का शपथ–पत्र भी संलग्न करना होगा।

लघु (क्षमता 2 टन प्रति दिन), मध्यम (क्षमता 8 टन प्रति दिन) एवं वृहद (क्षमता 20 एवं 100 टन प्रति दिन) फीड मील का अधिष्ठापन

1. योजना का उद्देश्य :–

राज्य के अधिकांश मत्स्य कृषकों के द्वारा परम्परागत तरीके से मछली पालन के स्थान पर अर्धसघन एवं सघन तकनीक से मत्स्य पालन किया जा रहा है। इस तकनीक से मत्स्य पालन में मत्स्य आहार का प्रयोग किया जाता है। इससे न केवल मत्स्य पालन में बढ़ोतरी होती है बल्कि मत्स्य कृषको के आय में भी अभिवृद्धि होती है। मत्स्य आहार में प्रोटीन की मांग तथा आहार के आकार महत्वपूर्ण स्थान है। राज्य के मत्स्य कृषकों को आहार की आपूर्ति हेतु अन्य राज्य के फीड कम्पनियों पर निर्भर होना पड़ता है। राज्य में वृहत रूप में पिलेटेड मत्स्य आहार के उत्पादन हेतु फिश–फिड मील का अधिष्ठापन आवश्यक है। फिश फिड मील में प्रमुखतः दो प्रकार के फिड यथा Sinking एवं Floating फिड का उत्पादन होता है। राज्य में फिश फिड मील के अधिष्ठापन होने से मत्स्य कृषको को कम मूल्य के उन्नत आहार की उपलब्धता ससमय सुनिश्चित हो सकेगी। इन योजनाओं के प्रवृत होने से राज्य की मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादकता के साथ ग्रामीण स्तर पर रोजगार सृजन हो सकेगा।

2. योजना का मुख्य बिन्दु :–

i. राज्य के कृषकों को गुणवत्तायुक्त मत्स्य आहार सुलभता के साथ कम मूल्य पर उपलब्ध होगा।

ii. लघु (क्षमता 2 टन प्रतिदिन), मध्यम (क्षमता 8 टन प्रतिदिन), वृहद (क्षमता 20 टन प्रतिदिन) एवं वृहद (क्षमता 100 टन प्रतिदिन) फीड मील का अधिष्ठापन की इकाई लागत क्रमशः मो0 30.00 लाख, 100 लाख, 200 लाख एवं 650 लाख निर्धारित है।

iii. योजनांतर्गत एक व्यक्ति/परिवार को तीनों में से किसी 1 इकाई की अनुमान्यता होगी।

3. फीड मील का अधिष्ठापन की तकनीकी विशिष्टता :–

i. लघु (क्षमता 2 टन प्रतिदिन) फीड मील का अधिष्ठापन हेतु न्यूनतम 4000 वर्ग फीट भूमि की उपलब्धता आवश्यक है। अधिष्ठापन हेतु 100 कि0ग्रा0/घंटा क्षमता के हैमर ग्राइंडर एवं 100 कि0ग्रा0/घंटा क्षमता के मिक्सर, 100 कि0ग्रा0/घंटा क्षमता के प्री–कंडिस्नर, 100 कि0ग्रा0/घंटा क्षमता के सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर, कूलर, ड्रायर, स्प्रेयर, इलेक्ट्रीकल स्केल, बैग स्केल, स्पेयर डाई, कटर, विद्युत आपूर्ति हेतु ट्रांसफर्मर/जेनेरेटर आदि का अधिष्ठापन किया जाना है।

ii. मध्यम (क्षमता 8 टन प्रतिदिन) फीड मील का अधिष्ठापन हेतु न्यूनतम 12000 वर्ग फीट भूमि की उपलब्धता आवश्यक है। अधिष्ठापन हेतु 500 कि0ग्रा0/घंटा क्षमता का हैमर ग्राइंडर, 150 कि0ग्रा0/घंटा क्षमता का मिक्सर मशीन, 600 कि0ग्रा0/घंटा क्षमता के फिडिंग कन्वेयर, 500 कि0ग्रा0/घंटा क्षमता के प्री–कंडिस्नर, 500 कि0ग्रा0/घंटा क्षमता के ट्वीन स्क्रू एक्सट्रूडर,, 500 कि0ग्रा0/घंटा क्षमता के एयर कन्वेयर, 500 कि0ग्रा0/घंटा क्षमता के कूलिंग कन्वेयर, थ्री लेयर ड्रायर, ब्वायलर, एम0सी0सी0 पैनल स्प्रेयर, इलेक्ट्रीकल स्केल, बैग स्केल, स्पेयर डाई, कटर, विद्युत आपूर्ति हेतु ट्रांसफर्मर/जेनेरेटर आदि का अधिष्ठापन किया जाना है।

iii. वृहद (क्षमता 20 टन प्रतिदिन) फीड मील का अधिष्ठापन हेतु न्यूनतम 25000 वर्ग फीट भूमि में निर्माण आवश्यक है। अधिष्ठापन हेतु 1000 कि0ग्रा0/घंटा क्षमता का हैमर ग्राइंडर, 250 कि0ग्रा0/घंटा क्षमता का मिक्सर मशीन, 1200 कि0ग्रा0/घंटा क्षमता के फिडिंग कन्वेयर, 1200 कि0ग्रा0/घंटा क्षमता के प्री–कंडिस्नर अथवा 1000 कि0ग्रा0/घंटा क्षमता के ट्वीन स्क्रू एक्सट्रूडर, 1000 कि0ग्रा0/घंटा क्षमता के एयर कन्वेयर, 1300 कि0ग्रा0/घंटा क्षमता के कूलिंग कन्वेयर, 1000 कि0ग्रा0/घंटा क्षमता के थ्री लेयर ड्रायर, स्टीम ब्वायलर, स्टील तथा हॉर्डवेयर सामग्री, एम0सी0सी0 पैनल स्प्रेयर, इलेक्ट्रीकल स्केल, बैग स्केल, स्पेयर डाई, कटर, विद्युत आपूर्ति हेतु ट्रांसफर्मर/जेनेरेटर आदि का अधिष्ठापन आवश्यक है।

iv. वृहद (क्षमता 100 टन प्रतिदिन) फीड प्लांट का अधिष्ठापन हेतु न्यूनतम 2 एकड़ भूमि की उपलब्धता आवश्यक है। अधिष्ठापन हेतु 5 एच0पी0 क्षमता के बकेट एलीवेटर, स्क्रू फीडर तथा संचयन की क्षमता की टंकी, 15 एच0पी0 क्षमता के मिक्सर रिबन, मैगनेटिक आयरन ट्रैपर, बेल्ट कन्वेयर, हैमर मील, प्लान शिफ्टर,, 5000 कि0ग्रा0/घंटा क्षमता के ट्वीन स्क्रू एक्सट्रूडर, 7.5 एच0पी0 के एयर कन्वेयर, कूलिंग कन्वेयर, वाइब्रेटिंग स्क्रीन, बफर हौपर, पैकिंग मशीन, न्यूनतम 30 एच0पी0 क्षमता के स्क्रू टाइप कम्प्रेशर, स्टीम ब्वायलर, स्टील तथा हॉर्डवेयर सामग्री, एम0सी0सी0 पैनल स्प्रेयर, इलेक्ट्रीकल स्केल, स्पेयर डाई, कटर, विद्युत आपूर्ति हेतु ट्रांसफर्मर/जेनेरेटर आदि का अधिष्ठापन आवश्यक है।

v. लाभार्थी सभी तरह के फिश फीड मील में आवश्यकतानुसार ट्रांसफर्मर का अधिष्ठापन बिजली विभाग से करायेंगे।

vi. लाभार्थी आवश्यक क्षमता के जेनेरेटर का अधिष्ठापन भी सुनिश्चत करेंगे।

4. <u>चयन की प्रक्रिया :–</u> फीड मील के लाभुकों का चयन राज्य स्तर पर गठित समिति के द्वारा किया जाएगा।

5. <u>चयन में प्राथमिकता :–</u> योजना अंतर्गत आवेदक को चयन में प्राथमिकता निम्न आधार पर दी जा सकेगी–

i. बैंक ऋण से निर्माण कार्य करने वाले आवेदकों को प्राथमिकता दी जा सकती है।

ii. मत्स्य आहार व्यवसाय से जुड़े आवेदको को प्राथमिकता दी जा सकती है।

iii. आवेदक के प्रशिक्षित होने की स्थिति में प्राथमिकता दी जा सकती है।

6. <u>कार्यादेश निर्गत करना</u> :– चयन के **15 दिन** के अंदर आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेजों के जाँचोपरांत सही पाए जाने पर संबंधित जिला कार्यालय के द्वारा कार्यादेश निर्गत किया जाएगा।

7. <u>कार्य पूर्ण करने हेतु समय–सीमा :–</u>

i. कार्यादेश निर्गत करने के उपरान्त लाभुक को 30 दिनों के अंदर कार्य आरंभ एवं 120 दिनों के अंदर कार्य पूर्ण करना होगा। कार्य में विलम्ब की स्थिति में आवेदक को कार्य प्रारंभ करने की समय सीमा के अंदर जिला मत्स्य कार्यालय में समुचित कारण दर्शाते हुए अवधि विस्तार हेतु आवेदन समर्पित करना होगा। विलम्ब के उचित कारण की स्थिति में अधिकतम 30 दिनों तक का अवधि विस्तार जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा दिया जा सकता है।

ii. लाभुक द्वारा कार्यादेश निर्गत होने के 30 दिनों तक निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं करने की स्थिति में कारण पृच्छा नोटिस दिया जाएगा। 60 दिनों के अंदर कार्य प्रारंभ नहीं करने पर निर्गत कार्यादेश निरस्त कर लाभुक को सूचित किया जाएगा। इसकी सूचना उप मत्स्य निदेशक के माध्यम से निदेशालय को दी जाएगी।

iii. कार्यादेश निरस्त करने के उपरांत योजनान्तर्गत ऑनलाईन के माध्यम से प्राप्त आवेदनों से प्रतीक्षा सूची में अगले आवेदक को निर्धारित समय सीमा के अंदर कार्य करने हेतु कार्यादेश निर्गत किया जाएगा।

iv. प्लांट एवं मशीनरी के साथ बिजली कनेक्शन (ट्रांसफॉर्मर सहित), जेनरेटर तथा बोर वेल (6 इंच) पर भी अभिश्रव के आधार पर नियमानुसार अनुदान की गणना की जाएगी जो इकाई लागत के अंतर्गत सीमित रहेगी।

8. निर्माण कार्यों का चरण :– मशीनों की खरीद कर निर्माण स्थल पर आ जाने का कार्य पूर्ण करना होगा। फीड मील के अधिष्ठापन एवं परिचालन का कार्य करना होगा।

9. <u>अनुदान का भुगतान</u> :–

योजना अंतर्गत देय अनुदान की राशि कुल दो किस्तों मे देय होगी।

xxiv. **प्रथम किस्त–** लाभुक को प्रथम किस्त के रूप में 50 प्रतिशत अनुदान का भुगतान मशीनों के निर्माण स्थल पर आ जाने, शेड के निर्माण, बिजली कनेक्शन/जेनेरेटर अधिष्ठापन के पश्चात् प्रमाणको एवं अभिश्रवों के जाँचोपरान्त कनीय अभियंता/मत्स्य विकास पदाधिकारी/मत्स्य प्रसार पदाधिकारी के अनुशंसा के उपरांत निर्धारित प्रक्रियानुसार भुगतान किया जाएगा।

xxv. **द्वितीय किस्त–** फीड मील के अधिष्ठापन एवं परिचालन प्रारंभ होने के पश्चात् सभी प्रमाणको एवं अभिश्रवों के जाँचोपरान्त एवं कनीय अभियंता/मत्स्य विकास पदाधिकारी/मत्स्य प्रसार पदाधिकारी के अनुशंसा के बाद शेष अनुदान की राशि का निर्धारित प्रक्रियानुसार भुगतान किया जाएगा।

xxvi. **10. <u>अन्य क्रियान्वयन शर्तें</u>:–**

i. लाभुक के द्वारा फिश फीड मील आपूर्तिकर्ता/अभिकर्ता का चयन स्वयं किया जाएगा।

ii. बैंक ऋण की अवस्था में अनुदान की राशि लाभुक के खाते में उपलब्ध करा दी जाएगी।

iii. योजनांतर्गत अधिष्ठापित फिश फीड मील को न्यूनतम 5 वर्षों तक निरंतर निर्धारित क्षमता से संचालन की जिम्मेवारी लाभुक की होगी अन्यथा अनुदान राशि की वसूली निर्धारित प्रक्रियानुसार की जाएगी। आवेदक को इस आशय का शपथ–पत्र भी संलग्न करना होगा।

iv. फिश फीड मील आपूर्तिकर्ता/अभिकर्ता के द्वारा अधिष्ठापित किए गए मील/मशीन का नम्बर, कैश मेमो आदि कागजात दो प्रतियो में सम्बन्धित जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा जिसका भौतिक सत्यापन के पश्चात एक प्रति लाभुक को उपलब्ध कराया जायेगा तथा दूसरा प्रति का संधारण सम्बन्धित जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा किया जाएगा।

v. *''मत्स्य निदेशालय, बिहार सरकार द्वारा आर्थिक सहायता से प्रदत्त''* से सम्बन्धित लोगो फिश फीड मील में लगाना अनिवार्य होगा।

आईस–प्लांट/कोल्ड स्टोरेज का निर्माण (न्यूनतम क्षमता 10 मैट्रिक टन) तथा आईस–प्लांट/कोल्ड स्टोरेज का निर्माण (न्यूनतम क्षमता 20 मैट्रिक टन) एक टन के ब्लास्ट फ्रीज़र सहित का अधिष्ठापन।

1. योजना का उद्देश्य :–

राज्य के अधिकांश मत्स्य कृषकों के द्वारा परम्परागत तरीके से मछली पालन के स्थान पर अर्धसघन एवं सघन तकनीक से मत्स्य पालन किया जा रहा है। शिकारमाही के पश्चात् मछलियों की सेल्फ–लाईफ अत्यंत कम होती है। विगत कुछ वर्षों में राज्य के मत्स्य उत्पादन में आशातित वृद्धि हुई है। मत्स्य उत्पादन में वृद्धि के कारण मत्स्य कृषकों को बाजार में मछलियों को लम्बी अवधि तक ताजा रखने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अक्सर यह पाया गया है कि मत्स्य बाजार में एक ही समय पर वृहद मात्रा में मछलियों के आगमन से मत्स्य कृषकों को परिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है तथा मछलियों के थोक एवं खुदरा बाजार मूल्य पर मांग एवं आपूर्ति के असंतुलन से प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। फलस्वरूप मत्स्य कृषकों के पास अन्य कोई विकल्प नहीं होने के कारण वे कम मूल्य में अपने मत्स्य उत्पाद को बेचने के लिए बाध्य हो जाते हैं। इससे उन्हें काफी आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है। मत्स्य कृषकों को समुचित आर्थिक संरक्षण प्रदान करने तथा मत्स्य उत्पादों की गुणवत्ता को अधिक समय तक बनाए रखने के उद्देश्य से विभिन्न क्षमता के आईस–प्लांट/कोल्ड स्टोरेज का निर्माण किया जाएगा। खुदरा मत्स्य बिक्रेताओं को मछली विक्रय के उपरान्त अपने उत्पाद की गुणवत्ता बनाए रखने हेतु बर्फ की आवश्यकता होती है। आईस प्लान्ट के निर्माण से खुदरा एवं थोक बिक्रेताओं को उचित मूल्य में आसानी से ससमय बर्फ उपलब्ध हो सकेगा तथा बची हुई मछलियों को कोल्ड स्टोरेज में सुरक्षित रखा जा सकेगा। अत्यधिक मछलियों के बाजार में आ जाने पर बाजार मूल्य को नियंत्रित करने हेतु ब्लास्ट फ्रीजींग कर कोल्ड स्टोरेज में तीन महीने से अधिक समय के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है। इससे उपभोक्ताओं को न केवल स्वच्छ एवं ताजी मछलियाँ उपलब्ध हो सकेगी बल्कि बाजार में मछली की आपूर्ति कम होने पर कोल्ड स्टोरेज से सुलभता के साथ बाजार में उपलब्ध कराया जा सकेगा। मत्स्य कृषकों को अपने मत्स्य उत्पाद अपनी इच्छानुसार उचित बाजार मूल्य पर विक्रय करने का अवसर प्राप्त होगा। इससे उनके आर्थिक स्थिति सबल होगी तथा वार्षिक आय में बढ़ोत्तरी होगी। आईस–प्लांट/कोल्ड स्टोरेज के निर्माण की योजना अंतर्गत एक व्यक्ति/परिवार/समूह को One Time के आधार पर आच्छादित किया जाना है। इन योजनाओं के प्रवृत्त होने से ग्रामीण स्तर पर रोजगार का सृजन हो सकेगा।

इस योजना के तहत आईस–प्लांट/कोल्ड स्टोरेज का निर्माण (न्यूनतम क्षमता 10 मैट्रिक टन) तथा आईस–प्लांट/कोल्ड स्टोरेज का निर्माण (न्यूनतम क्षमता 20 मैट्रिक टन) एक टन के ब्लास्ट फ्रीज़र सहित किया जाएगा।

2. **योजना का मुख्य बिन्दु :–**

i. आईस–प्लांट/कोल्ड स्टोरेज का निर्माण होने से राज्य में उचित मात्रा में मछलियों का भण्डारण किया जाएगा।

ii. राज्य के कृषकों को मत्स्य उत्पादों को उचित मूल्य पर इच्छानुसार विक्रय करने का अवसर उपलब्ध होगा।

iii. राज्य में लघु एवं मध्यम क्षमता का कोल्ड स्टोरेज अधिष्ठापित किया जाएगा।

iv. मत्स्य व्यवसाय यथा मत्स्य विपणन/भंडारण/प्रसंस्करण से जुड़े/अनुभवी/प्रशिक्षित व्यक्ति समूह एवं प्रतिष्ठानों को लघु एवं मध्यम क्षमता का कोल्ड स्टोरेज अधिष्ठापन का लाभ देय होगा।

v. योजनांतर्गत एक व्यक्ति/परिवार को किसी एक इकाई की ही अनुमान्यता होगी।

3. **योजना की तकनीकी विशिष्टता :–**

i. आईस–प्लांट/कोल्ड स्टोरेज के निर्माण (न्यूनतम क्षमता 10 मैट्रिक टन) हेतु न्यूनतम 2000 वर्ग फीट भूमि में निर्माण आवश्यक है।

ii. कोल्ड स्टोरेज हेतु कोल्ड रूम, सैन्डविच पी0यू0एफ0 पैनल, रेफ्रिजरेशन यूनिट, न्यूनतम 1250 पैलेट्स, 50 रैक, आवश्यक क्षमता का जेनेरेटर, बिजली कनेक्शन तथा आउटरीच हेतु वाहन, आदि का होना आवश्यक है।

iii. आईस–प्लांट/कोल्ड स्टोरेज के निर्माण (न्यूनतम क्षमता 20 मैट्रिक टन) एक टन के ब्लास्ट फ्रीज़र सहित हेतु न्यूनतम 5000 वर्ग फीट भूमि में निर्माण आवश्यक है।

iv. कोल्ड स्टोरेज के निर्माण हेतु कोल्ड रूम, सैन्डविच पी0यू0एफ0 पैनल, रेफ्रिजरेशन यूनिट, 2500 पैलेट्स, 100 रैक, आवश्यक क्षमता के जेनेरेटर, दरवाजे तथा आउटरीच हेतु वाहन के अतिरिक्त 1 टन क्षमता के एयर ब्लास्ट फ्रिजर, प्रोसेसिंग हॉल आदि का होना आवश्यक है।

4. **चयन की प्रक्रिया :–** योजना अंतर्गत आवेदक को चयन राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा किया जाएगा, जिसमें निम्न आधार पर प्राथमिकता दी जा सकेगी–

iv. बैंक ऋण से निर्माण कार्य करने वाले आवेदकों को प्राथमिकता दी जा सकती है।

v. आवेदक के प्रशिक्षित होने की स्थिति में प्राथमिकता दी जा सकती है।

5. **कार्य पूर्ण करने हेतु समय–सीमा :–**

xxii. कार्यादेश निर्गत करने के उपरान्त लाभूक को 15 दिनों के अंदर कार्य आरंभ एवं 90 दिनों के अंदर कार्य पूर्ण करना होगा। कार्य में विलम्ब की स्थिति में आवेदक को कार्य प्रारंभ करने की समय सीमा के अंदर जिला मत्स्य कार्यालय में समुचित कारण दर्शाते हुए अवधि विस्तार हेतु

आवेदन समर्पित करना होगा। विलम्ब के उचित कारण की स्थिति में अधिकतम 30 दिनों तक का अवधि विस्तार जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा दिया जा सकता है।

xxiii. लाभुक द्वारा कार्यादेश निर्गत होने के 30 दिनों तक निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं करने की स्थिति में कारण पृच्छा नोटिस दिया जाएगा। 60 दिनों के अंदर कार्य प्रारंभ नहीं करने पर निर्गत कार्यादेश निरस्त कर लाभुक को सूचित किया जाएगा। इसकी सूचना उप मत्स्य निदेशक के माध्यम से निदेशालय को दी जाएगी।

xxiv. कार्यादेश निरस्त करने के उपरांत योजनान्तर्गत ऑनलाईन के माध्यम से प्राप्त आवेदनों से प्रतीक्षा सूची में अगले आवेदक को निर्धारित समय सीमा के अंदर कार्य करने हेतु कार्यादेश निर्गत किया जाएगा।

6. <u>अनुदान का भुगतान</u> :–

योजना अंतर्गत आईस–प्लांट/कोल्ड स्टोरेज के निर्माण (न्यूनतम क्षमता 10 मैट्रिक टन) हेतु लागत राशि 40.00 लाख रूपये निर्धारित है तथा अनुदान की राशि कुल दो किस्तों मे देय होगी।

xxvii. **प्रथम किस्त–** लाभुक को प्रथम किस्त के रूप में 50 प्रतिशत अनुदान का भुगतान प्लांट एण्ड मशीनरी के अधिष्ठापन के पश्चात् प्रमाणको एवं अभिश्रवों के जॉचोपरान्त कनीय अभियंता/मत्स्य विकास पदाधिकारी/मत्स्य प्रसार पदाधिकारी के अनुशंसा के उपरांत निर्धारित प्रक्रियानुसार किया जाएगा।

xxviii. **द्वितीय किस्त–** प्लांट का अधिष्ठापन एवं परिचालन प्रारंभ होने के पश्चात् सभी प्रमाणको एवं अभिश्रवों के जॉचोपरान्त एवं कनीय अभियंता/मत्स्य विकास पदाधिकारी/मत्स्य प्रसार पदाधिकारी के अनुशंसा के बाद शेष अनुदान की राशि का भुगतान निर्धारित प्रक्रियानुसार किया जाएगा।

7. आईस–प्लांट/कोल्ड स्टोरेज का संचालन :–

i. योजनांतर्गत अधिष्ठापित आईस–प्लांट/कोल्ड स्टोरेज का संचालन अनुदान भुगतान के पश्चात् प्रारंभ करना आवश्यक होगा। कठिनाई होने पर जिला मत्स्य पदाधिकारी को सूचित करेंगे तथा जिला मत्स्य पदाधिकारी कठिनाईयों का निवारण करेंगे।

ii. योजनांतर्गत अधिष्ठापित आईस–प्लांट/कोल्ड स्टोरेज का निर्माण (न्यूनतम क्षमता 10 मैट्रिक टन) तथा आईस–प्लांट/कोल्ड स्टोरेज का निर्माण (न्यूनतम क्षमता 20 मैट्रिक टन) एक टन के ब्लास्ट फ्रीज़र सहित को न्यूनतम 5 वर्षों तक निरंतर निर्धारित क्षमता से संचालन की जिम्मेवारी लाभुक की होगी अन्यथा अनुदान राशि की वसूली निर्धारित प्रक्रियानुसार की जाएगी। आवेदक को इस आशय का शपथ–पत्र भी संलग्न करना होगा।

तीन पहिया वाहन/ई–रिक्शा (आईस–बॉक्स सहित), मोटरसाईकिल (आईस–बॉक्स सहित), साईकिल (आईस–बॉक्स सहित) वितरण की योजना

1. योजना का उद्देश्य :–

तीन पहिया वाहन/ई–रिक्शा (आईस–बॉक्स सहित), मोटरसाईकिल (आईस–बॉक्स सहित) एवं साईकिल (आईस–बॉक्स सहित) द्वारा बाजार में गुणवत्तायुक्त, स्वच्छ एवं ताजा खाने योग्य मछलियों की सुलभता के साथ उपलब्धता सुनिश्चित करना है। शिकारमाही के पश्चात् मछलियों की सेल्फ–लाईफ अत्यंत कम होती है। मछलियों के गुणवत्ता को निम्न तापमान तथा द्रुत परिवहन से उच्चतम स्तर पर बनाये रखा जा सकेगा। योजनान्तर्गत विभिन्न प्रकार के वाहनों की आपूर्ति की जाएगी जिससे न केवल स्वच्छ एवं ताजी मछलियाँ उपभोक्ताओं को उपलब्ध हो सकेगी बल्कि मत्स्य कृषकों को बिचौलियों से निजात मिलेगा एवं आय में अभिवृद्धि के साथ रोजगार का सृजन हो सकेगा।

2. योजना का मुख्य बिन्दु :–

i. तीन पहिया वाहन/ई–रिक्शा (आईस–बॉक्स सहित), मोटरसाईकिल (आईस–बॉक्स सहित), साईकिल (आईस–बॉक्स सहित) का क्रय चयनित लाभुक के द्वारा स्वंय निबंधित वाहन आपूर्तिकर्ता/अभिकर्ता से किया जाएगा।

ii. तीन पहिया वाहन/ई–रिक्शा (आईस–बॉक्स सहित), मोटरसाईकिल (आईस–बॉक्स सहित), साईकिल (आईस–बॉक्स सहित) की इकाई लागत क्रमशः मो0 03.00 लाख, 0.75 लाख, 0.10 लाख निर्धारित है।

iii. योजनांतर्गत एक व्यक्ति/परिवार को किसी एक इकाई की अनुमान्यता होगी।

3. चयन की प्रक्रिया :– सामान्य अनुदेश में अंकित सभी शर्तों के अनुसार चयन की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी।

4. चयन में प्राथमिकता :– योजना अंतर्गत आवेदक को चयन में प्राथमिकता निम्न आधार पर दी जा सकेगी–

xviii. मत्स्य विपणन के कार्य जुड़े आवेदकों को प्राथमिकता दी जा सकती है।

xix. ड्राइविंग लाइसेंस वाले आवेदकों को तीन पहिया वाहन/ई–रिक्शा एवं मोटरसाईकिल हेतु प्राथमिकता दी जा सकती है।

xx. आवेदक के प्रशिक्षित होने की स्थिति में प्राथमिकता दी जा सकती है।

5. योजना की आवश्यक शर्तें :–

i. लाभुक को निर्धारित अनुदान राशि अथवा वास्तविक क्रय मूल्य पर अनुमान्य अनुदान, दोनों में से जो न्यूनतम हो, की अनुमान्यता होगी। शेष राशि लाभुक के द्वारा अपना अंशदान स्वंय अथवा बैंक ऋण के द्वारा वहन की जाएगी।

ii. योजनान्तर्गत निर्धारित इकाई लागत से अधिक व्यय होने पर अतिरिक्त व्यय राशि का वहन लाभुक के द्वारा स्वयं किया जाएगा।

iii. लाभुक अपना अंशदान सीधे निबंधित वाहन आपूर्तिकर्ता/अभिकर्ता को उपलब्ध करायेंगे तथा इससे सम्बन्धित प्रमाणक/अभिश्रव अपने जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को उपलब्ध करायेगे, जिसे जाँचोपरान्त सही पाये जाने के उपरान्त वाहन आपूर्तिकर्ता/अभिकर्ता को वाहन आपूर्ती हेतु आदेश निर्गत किया जाएगा। तदुपरान्त, वाहन आपूर्तिकर्ता/अभिकर्ता लाभुक का अंशदान प्राप्त हाने तथा ससमय वाहन आपूर्ती करने का सहमति पत्र सम्बन्धित जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को देगें।

iv. इस योजना के तहत वाहनों का वितरण प्रदर्शनी लगाकर विभागीय पदाधिकारियों की उपस्थिति में किया जायेगा।

v. वाहन आपूर्तिकर्ता/अभिकर्ता के द्वारा वितरित होने वाले वाहनों का चेचीस एवं ईंजन के नम्बर, कैश मेमो, निबंधन, बीमा आदि कागजात दो प्रतियो में सम्बन्धित जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा जिसका भौतिक सत्यापन के पश्चात् एक प्रति लाभुक को उपलब्ध कराया जायेगा तथा दूसरी प्रति का संधारण सम्बन्धित जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा किया जाएगा।

6. अनुदान का भुगतान :–

योजनान्तर्गत देय अनुदान की राशि सम्बन्धित जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा निर्धारित प्रक्रियानुसार आर०टी०जी०एस०/एन०ई०एफ०टी० के माध्यम से एक पक्ष के अन्दर संबधित वाहन आपूर्तिकर्ता/अभिकर्ता को भुगतान की जायेगी। इसकी सूचना वाहन आपूर्तिकर्ता/अभिकर्ता तथा लाभुक को दी जायेगी।

7. तीन पहिया/ई–रिक्शा, मोटरसाईकिल, साईकिल (आईस–बॉक्स सहित) का संचालन :–

xv. अनुदान के उपरान्त वाहन द्वारा विपणन कार्य प्रारंभ करना आवश्यक होगा। कठिनाई होने पर जिला मत्स्य पदाधिकारी को सूचित करेंगे तथा जिला मत्स्य पदाधिकारी कठिनाईयों का निवारण करेंगे।

xvi. मत्स्य विपणन हेतु वाहन का प्रयोग न्यूनतम 5 वर्षों तक निरंतर करने की जिम्मेवारी लाभुक की होगी अन्यथा अनुदान राशि की वसूली निर्धारित प्रक्रियानुसार की जाएगी। आवेदक को इस आशय का शपथ–पत्र भी संलग्न करना होगा।

xvii. *''मत्स्य निदेशालय, बिहार सरकार द्वारा आर्थिक सहायता से प्रदत्त''* से सम्बन्धित लोगो वाहन के दोनों ओर लगाना अनिवार्य होगा।

रेफ्रिजेरेटेड वाहन, इनसुलेटेड वाहन एवं मोबाईल फिश किऑस्क

1. योजना का उद्देश्य :–

रेफ्रिजेरेटेड वाहन, इनसुलेटेड वाहन एवं मोबाईल फिश किऑस्क द्वारा बाजार में गुणवत्तायुक्त, स्वच्छ एवं ताजा खाने योग्य मछलियों एवं मत्स्य उत्पादों की सुलभता के साथ उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। शिकारमाही के पश्चात् मछलियों की सेल्फ–लाईफ अत्यंत कम होता है। मछलियों के गुणवत्ता को निम्न तापमान तथा द्रुत परिवहन से उच्चतम स्तर पर बनाये रखा जा सकेगा। योजनान्तर्गत विभिन्न प्रकार के वाहनों की आपूर्ति की जाएगी जिससे न केवल स्वच्छ एवं ताजी मछलियाँ उपभोक्ताओं को उपलब्ध हो सकेगी बल्कि मत्स्य कृषकों को बिचौलियों से निजात मिलेगा एवं आय में अभिवृद्धि होगी। एक व्यक्ति/परिवार को One Time के आधार पर आच्छादित किया जाना है। इन योजनाओं के प्रवृत होने से ग्रामीण स्तर पर रोजगार का सृजन हो सकेगा।

2. योजना का मुख्य बिन्दु :–

i. रेफ्रिजेरेटेड वाहन, इनसुलेटेड वाहन एवं मोबाईल फिश किऑस्क का क्रय चयनित लाभुक के द्वारा निबंधित वाहन आपूर्तिकर्ता/अभिकर्ता से स्वंय किया जाएगा।

ii. मत्स्य व्यवसाय यथा मत्स्य विपणन/भंडारण/प्रसंस्करण से जुड़े/अनुभवी/प्रशिक्षित व्यक्ति समूह एवं प्रतिष्ठानों को रेफ्रिजेरेटेड वाहन एवं इनसुलेटेड वाहन का लाभ देय होगा।

iii. रेफ्रिजेरेटेड वाहन, इनसुलेटेड वाहन एवं मोबाईल फिश किऑस्क की इकाई लागत क्रमशः मो0 25.00 लाख, 20.00 लाख एवं 10.00 लाख निर्धारित है।

iv. एक व्यक्ति/परिवार का योजनान्तर्गत किसी एक इकाई का लाभ अनुमान्य होगा।

3. योजना की तकनीकी विशिष्टताः–

i. रेफ्रिजेरेटेड वाहन की क्षमता 6 से 8 टन तक होना आवश्यक है, तथा वाहन में फ्रिजींग तापमान (-24^0C) अथवा चिलींग तापमान ($+2^0C$ से $+8^0C$) रक्षित करने हेतु फ्रिजर तथा पी0सी0एम0 पैड, इन्सुलेटेड कन्टेनर एवं पावर सप्लाई की व्यवस्था आवश्यक है।

ii. इनसुलेटेड वाहन की क्षमता 6 से 8 टन तक होना आवश्यक है। इन्सुलेटेड वाहन का बाहरी एवं अंदरूदी पैनल CR Sheet/स्टेनलेस स्टील एवं उसके मध्यम 30 Kg/m^3 घनत्व का 100 मी0मी0 मोटा पी0यू0एफ0 (पॉली यूरेथेन फोम) इन्सुलेटिंग मटेरियल लगाना आवश्यक है।

iii. मोबाईल फिश किऑस्क के अधिष्ठापन में वाहन, ए0सी0पी0 एवं स्टेलनेस स्टील युक्त एम0एस0 फ्रेमिंग, गैस सिलेन्डर के साथ दो चुल्हा, बैटरी के साथ इन्वर्टर, डीप फ्रायर, डीप फ्रिजर, जेनेरेटर, जल संचयन टंकी, सिंक, बेसिन, सामने का शेड, कुड़ादान, आदि का होना आवश्यक है।

4. चयन की प्रक्रिया :– रेफ्रिजेरेटेड वाहन, इनसुलेटेड वाहन एवं मोबाईल फिश किऑस्क के लाभुकों का चयन राज्य–स्तरीय गठित समिति के द्वारा किया जायेगा।

5. चयन में प्राथमिकता :– योजना अंतर्गत आवेदक को चयन में प्राथमिकता निम्न आधार पर दी जा सकेगी–

xxi. मत्स्य विपणन एवं प्रसंस्करण के कार्य जुड़े आवेदकों को प्राथमिकता दी जा सकती है।

xxii. योजना की इकाई लागत का 20 प्रतिशत राशि आवेदक के खाते में होने पर प्राथमिकता दी जा सकती है।

xxiii. आवेदक के प्रशिक्षित होने की स्थिति में प्राथमिकता दी जा सकती है।

6. योजना की आवश्यक शर्तें :–

i. लाभुक को अनुदान स्वरूप निर्धारित अनुदान राशि अथवा वास्तविक क्रय मूल्य का अनुमान्य अनुदान प्रतिशत, दोनों में से जो भी न्यूनतम हो, की अनुमान्यता होगी। लाभुक के द्वारा अपने अंशदान की शेष राशि स्वंय अथवा बैंक ऋण के द्वारा वहन की जाएगी।

ii. योजनान्तर्गत निर्धारित इकाई लागत से अधिक व्यय होने पर अतिरिक्त व्यय राशि का वहन लाभुक के द्वारा स्वयं किया जाएगा।

iii. लाभुक अपना अंशदान सीधे निबंधित वाहन आपूर्तिकर्ता/अभिकर्ता एवं गाड़ी के बॉडी निर्माता को उपलब्ध करायेंगे तथा इससे सम्बन्धित प्रमाणक/अभिश्रव जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को समर्पित करेंगे, जिसे जाँचोपरान्त सही पाये जाने के उपरान्त वाहन आपूर्ती हेतु आदेश निर्गत किया जाएगा। तदुपरान्त, वाहन आपूर्तिकर्ता/अभिकर्ता लाभुक का अंशदान प्राप्त हाने तथा ससमय वाहन आपूर्ती करने का सहमति पत्र सम्बन्धित जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को देगें।

iv. इस योजना के तहत वाहनों का वितरण प्रदर्शनी लगाकर विभागीय पदाधिकारियों की उपस्थिति में किया जायेगा।

v. वाहन आपूर्तिकर्ता/अभिकर्ता के द्वारा वितरित होने वाले वाहनों का चेचीस एवं ईंजन के नम्बर, कैश मेमो, निबंधन, बीमा आदि कागजात दो प्रतियो में सम्बन्धित जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा जिसकी भौतिक सत्यापन के पश्चात एक प्रति लाभुक को उपलब्ध कराया जायेगा तथा दूसरी प्रति का संधारण सम्बन्धित जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा किया जाएगा।

7. अनुदान का भुगतान :–

योजनान्तर्गत देय अनुदान की राशि सम्बन्धित जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार आर०टी०जी०एस० / एन०ई०एफ०टी० के माध्यम से एक पक्ष के अन्दर संबधित वाहन आपूर्तिकर्ता / अभिकर्ता को भुगतान किया जायेगा। इसकी सूचना वाहन आपूर्तिकर्ता / अभिकर्ता तथा लाभुक को दी जायेगी।

8. रेफ्रिजेरेटेड वाहन, इनसुलेटेड वाहन एवं मोबाईल फिश किऑस्क का संचालन :–

i. अनुदान के उपरान्त वाहन द्वारा विपणन कार्य प्रारंभ करना आवश्यक होगा। कठिनाई होने पर जिला मत्स्य पदाधिकारी को सूचित करेंगे तथा जिला मत्स्य पदाधिकारी कठिनाईयों का निवारण करेंगे।

ii. मत्स्य विपणन हेतु वाहन का प्रयोग न्यूनतम 5 वर्षों तक निरंतर करने की जिम्मेवारी लाभुक की होगी अन्यथा अनुदान राशि की वसूली निर्धारित प्रक्रियानुसार की जाएगी। आवेदक को इस आशय का शपथ–पत्र भी संलग्न करना होगा।

iii. *''मत्स्य निदेशालय, बिहार सरकार द्वारा आर्थिक सहायता से प्रदत्त''* से सम्बन्धित लोगो वाहन के दोनों ओर लगाना अनिवार्य होगा।

जिन्दा मछली विक्रय केन्द्र का निर्माण

1. योजना का उद्देश्य :–

राज्य के अधिकांश मत्स्य कृषकों के द्वारा परम्परागत तरीके से मछली पालन के स्थान पर अर्धसघन एवं सघन तकनीक से मत्स्य पालन किया जा रहा है। विगत कुछ वर्षों में राज्य के मत्स्य उत्पादन में आशातित वृद्धि हुई है। उपभोक्ताओं द्वारा जीवित मछलियों की अधिक मांग को दृष्टिपथ में रखते हुए जीवित मछलियों की बिक्री हेतु जिन्दा मछली विक्रय केन्द्र का निर्माण किया जाएगा। इससे बाजार में जीवित मछली के आपूर्ति करने वाले मत्स्य कृषकों एवं बिक्रेताओं को भी उचित मूल्य प्राप्त होगा। मत्स्य कृषकों को अपने मत्स्य उत्पाद बिक्री करने हेतु स्थिर बिक्री केन्द्र उपलब्ध हो सकेगा जिससे उपभोक्ताओं को मछली क्रय करने में सुविधा सुनिश्चित होगी। इससे उनके आर्थिक स्थिति सबल होगी तथा वार्षिक आय में बढ़ोतरी होगी। जिन्दा मछली विक्रय केन्द्र के निर्माण की योजना एक व्यक्ति/परिवार को One Time के आधार पर आच्छादित की जाएगी। इन योजनाओं के प्रवृत होने से ग्रामीण स्तर पर रोजगार का सृजन हो सकेगा।

2. योजना का मुख्य बिन्दु :– जिन्दा मछली विक्रय केन्द्र के निर्माण की इकाई लागत मो0 20.00 लाख रूपये निर्धारित है।

3. योजना की तकनीकी विशिष्टता :–

- जिन्दा मछली विक्रय केन्द्र के निर्माण हेतु 2000 वर्ग फीट भूमि की आवश्यक है, जिसमें 200 वर्ग फीट की 5 दुकानो का निर्माण किया जाएगा। 5 दुकानों का निर्माण 1000 वर्ग फीट क्षेत्रफल में होगा तथा शेष 1000 वर्ग फीट में प्लेटफार्म, बोरिंग, पम्पसेट, शौचालय इत्यादि का निर्माण किया जाएगा।
- प्रत्येक दुकान में जल संचय हेतु 6 फीट X 5 फीट (30 वर्ग फीट) की दो टैंकों का निर्माण किया जाएगा।
- इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस/बोर वेल एवं अपशिष्ट निष्पादन की व्यवस्था आवश्यक है।
- लाभूक विक्रय केन्द्र के संपूर्ण परिसर में साफ सफाई सुनिश्चित करेंगे।
- जिन्दा मछली विक्रय केन्द्र में जल आपूर्ति, ऑक्सीजन हेतु विद्युत आपूर्ति, शौचालय इत्यादि का निर्माण भी आवश्यक है।
- जिन्दा मछली विक्रय केन्द्र के भवन का निर्माण होना आवश्यक है।

4. चयन की प्रक्रिया :– आवेदकों का चयन सामान्य योजना मे दिए शर्तो के आधार पर किया जाएगा।

5. चयन में प्राथमिकता :– योजना अंतर्गत आवेदक को चयन में प्राथमिकता निम्न आधार पर दी जा सकेगी–

xxiv. मत्स्य विपणन के कार्य से जुड़े आवेदकों को प्राथमिकता दी जा सकती है।

xxv. आवेदक के प्रशिक्षित होने की स्थिति में प्राथमिकता दी जा सकती है।

6. कार्य पूर्ण करने हेतु समय–सीमा :–

xxv. कार्यादेश निर्गत करने के उपरान्त लाभूक को 15 दिनों के अंदर कार्य आरंभ एवं 90 दिनों के अंदर कार्य पूर्ण करना होगा। कार्य में विलम्ब की स्थिति में आवेदक को कार्य प्रारंभ करने की समय सीमा के अंदर जिला मत्स्य कार्यालय में समुचित कारण दर्शाते हुए अवधि विस्तार हेतु आवेदन समर्पित करना होगा। विलम्ब के उचित कारण की स्थिति में अधिकतम 30 दिनों तक का अवधि विस्तार जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा दिया जा सकता है।

xxvi. लाभुक द्वारा कार्यादेश निर्गत होने के 15 दिनों तक निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं करने की स्थिति में कारण पृच्छा नोटिस दिया जाएगा। 30 दिनों के अंदर कार्य प्रारंभ नहीं करने पर निर्गत कार्यादेश निरस्त कर लाभुक को सूचित किया जाएगा। इसकी सूचना उप मत्स्य निदेशक के माध्यम से निदेशालय को दी जाएगी।

xxvii. कार्यादेश निरस्त करने के उपरांत योजनान्तर्गत ऑनलाईन के माध्यम से प्राप्त आवेदनों से प्रतीक्षा सूची में अगले आवेदक को निर्धारित समय सीमा के अंदर कार्य करने हेतु कार्यादेश निर्गत किया जाएगा।

7. निर्माण कार्यों का चरण :– जिन्दा मछली विक्रय केन्द्र निर्माण का कार्य पूर्ण होने के पश्चात् सभी उपकरणों का अधिष्ठापन करेंगे। समुचित जल की व्यवस्था सुनिश्चित कर स्वच्छता का ध्यान रखते हुए जिन्दा मछली विपणन का कार्य करेंगे।

8. अनुदान का भुगतान :–

योजना अंतर्गत जिन्दा मछली विक्रय केन्द्र की अधिकतम लागत राशि 20.00 लाख रूपये है तथा देय अनुदान की राशि कुल दो किस्तों मे देय होगी।

xxix. प्रथम किस्त– लाभुक द्वारा न्यूनतम 50 प्रतिशत राशि व्यय होने हेतु निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात् कनीय अभियंता द्वारा चालू मापी पुस्तिका दर्ज कर सहायक अभियंता से प्रतिहस्ताक्षरित कराकर अनुदान भुगतान हेतु अनुशंसा किए जाने के उपरांत कुल अनुमान्य अनुदान राशि का 50 प्रतिशत राशि निर्धारित प्रक्रियानुसार भुगतान किया जाएगा।

xxx. **द्वितीय किस्त–** लाभुक द्वारा शेष 50 प्रतिशत राशि हेतु निर्माण कार्य पूर्ण होने, बोर वेल पम्पसेट, बिजली सप्लाई, वाटर सप्लाई, आदि के पश्चात् कनीय अभियंता के द्वारा पूर्ण मापी पुस्तिका दर्ज कर सहायक अभियंता से प्रतिहस्ताक्षरित कराकर अनुदान भुगतान हेतु अनुशंसा किए जाने के उपरांत कुल अनुमान्य अनुदान राशि का शेष राशि निर्धारित प्रक्रियानुसार भुगतान किया जाएगा।

9. <u>जिन्दा मछली विक्रय केन्द्र का संचालन :–</u>

xviii. जिन्दा मछली विक्रय केन्द्र के निर्माण के उपरान्त जिन्दा मछली विक्रय का कार्य प्रारंभ करना आवश्यक होगा। कठिनाई होने पर जिला मत्स्य पदाधिकारी को सूचित करेंगे तथा जिला मत्स्य पदाधिकारी कठिनाईयों का निवारण करेंगे।

xix. योजनांतर्गत अधिष्ठापित जिन्दा मछली विक्रय केन्द्र को न्यूनतम 5 वर्षों तक निरंतर निर्धारित क्षमता से संचालन की जिम्मेवारी लाभुक की होगी अन्यथा अनुदान राशि की वसूली निर्धारित प्रक्रियानुसार की जाएगी। आवेदक को इस आशय का शपथ–पत्र भी संलग्न करना होगा।

फिश किऑस्क (एक्वेरियम/अलंकारी मछली सहित) का निर्माण

1. योजना का उद्देश्य :–

फिश किऑस्क के निर्माण का उद्देश्य पकी हुई सस्ती, सुपाच्य प्रोटीनयुक्त ताजी मछली उचित मूल्य पर आमजन को सुगमतापूर्वक उपलब्ध कराना है। इस योजना के क्रियान्वयन से मत्स्य उपभोग के प्रति जागरूकता एवं खपत में वृद्धि हो सकेगी। इसके अतिरिक्त लोगों का एक्वेरियम में अलंकारी मछलियों को रखने में अभिरूचि बढ़ी है। राज्य में अलंकारी मछलियों का संवर्द्धन नहीं होने के कारण अलंकारी मछलियों का व्यवसाय पूर्णरूपेण अन्य राज्यों से आयात पर निर्भर हैं। इससे अलंकारी मछली उपभोक्ताओं को उचित मूल्य में आपूर्ति हो सकेगी। योजना के प्रवृत्त होने से मत्स्य विपणन के कार्य मे संलग्न लाभुकों के आय में वृद्धि एवं अतिरिक्त रोजगार का सृजन हो सकेगा।

2. योजना का मुख्य बिन्दु :– फिश किऑस्क की इकाई लागत मो0 10.00 लाख निर्धारित है।

3. योजना की तकनीकी विशिष्टता :–

i. फिश किऑस्क (एक्वेरियम/अलंकारी मछली सहित) के निर्माण हेतु 600 वर्ग फीट भूमि की आवश्यकता है, जिसमें 200 लीटर के 4 टैंक तथा 5 एक्वेरियम का निर्माण होना है।

ii. इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस/ बोर वेल एवं अपशिष्ट निष्पादन की व्यवस्था आवश्यक है।

iii. लाभुक फिश किऑस्क (एक्वेरियम/अलंकारी मछली सहित) के संपूर्ण परिसर में साफ सफाई सुनिश्चित करेंगे।

iv. फिश किऑस्क (एक्वेरियम/अलंकारी मछली सहित) के निर्माण में जल आपूर्ति, ऑक्सीजन हेतु विद्युत आपूर्ति, इत्यादि की व्यवस्था की जाएगी।

v. फिश किऑस्क (एक्वेरियम/अलंकारी मछली सहित) हेतु पक्का भवन का निर्माण होना है।

vi. योजनांतर्गत एक व्यक्ति/परिवार को एक इकाई की अनुमान्यता होगी।

4. चयन की प्रक्रिया :– आवेदकों का चयन सामान्य योजना मे दिए शर्तो के आधार पर किया जाएगा।

5. चयन में प्राथमिकता :– योजना अंतर्गत आवेदक को चयन में प्राथमिकता निम्न आधार पर दी जा सकेगी–

xxvi. मत्स्य विपणन के कार्य जुड़े आवेदकों को प्राथमिकता दी जा सकती है।

xxvii. आवेदक के प्रशिक्षित होने की स्थिति में प्राथमिकता दी जा सकती है।

6. कार्य पूर्ण करने हेतु समय–सीमा :–

xxviii. कार्यादेश निर्गत करने के उपरान्त लाभूक को 30 दिनों के अंदर कार्य आरंभ एवं 60 दिनों के अंदर कार्य पूर्ण करना होगा। कार्य में विलम्ब की स्थिति में आवेदक को कार्य प्रारंभ करने की

समय सीमा के अंदर जिला मत्स्य कार्यालय में समुचित कारण दर्शाते हुए अवधि विस्तार हेतु आवेदन समर्पित करना होगा। विलम्ब के उचित कारण की स्थिति में अधिकतम 30 दिनों तक का अवधि विस्तार जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा दिया जा सकता है।

xxix. लाभुक द्वारा कार्यादेश निर्गत होने के 15 दिनों तक निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं करने की स्थिति में कारण पृच्छा नोटिस दिया जाएगा। 30 दिनों के अंदर कार्य प्रारंभ नहीं करने पर निर्गत कार्यादेश निरस्त कर लाभुक को सूचित किया जाएगा। इसकी सूचना उप मत्स्य निदेशक के माध्यम से निदेशालय को दी जाएगी।

xxx. कार्यादेश निरस्त करने के उपरांत योजनान्तर्गत ऑनलाईन के माध्यम से प्राप्त आवेदनों से प्रतीक्षा सूची में अगले आवेदक को निर्धारित समय सीमा के अंदर कार्य करने हेतु कार्यादेश निर्गत किया जाएगा।

7. निर्माण कार्यों का चरण :– फिश किऑस्क के निर्माण का कार्य पूर्ण होने के पश्चात् सभी आवश्यक उपकरणों का अधिष्ठापन करेंगे। समुचित जल की व्यवस्था सुनिश्चित कर स्वच्छता का ध्यान रखते हुए जिन्दा मछली विपणन का कार्य आरंभ करेंगे।

8. <u>अनुदान का भुगतान</u> :–

योजना अंतर्गत देय अनुदान की राशि कुल दो किस्तों मे देय होगी।

xxxi. **प्रथम किस्त–** लाभुक द्वारा निर्माण एवं उपकरणों के अधिष्ठापन में 50 प्रतिशत व्यय होने हेतु कार्य पूर्ण होने पर प्रमाणको एवं अभिश्रवों के जॉचोपरान्त कनीय अभियंता/मत्स्य विकास पदाधिकारी/मत्स्य प्रसार पदाधिकारी के अनुशंसा के उपरांत कुल अनुमान्य अनुदान का 50 प्रतिशत राशि निर्धारित प्रक्रियानुसार भुगतान किया जाएगा।

xxxii. **द्वितीय किस्त–** टैंक एवं शेड निर्माण एवं सभी उपकरणों के अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण होने एवं जल आपूर्ती, विद्युत आपूर्ति, जल ड्रेनेज सिस्टम, शौचालय, प्रदर्शन–सह–बिक्री काउन्टर आदि सभी कार्य पूर्ण एवं परिचालन प्रारंभ होने के पश्चात् सभी प्रमाणको एवं अभिश्रवों के जॉचोपरान्त एवं कनीय अभियंता/मत्स्य विकास पदाधिकारी/मत्स्य प्रसार पदाधिकारी के अनुशंसा के बाद शेष अनुदान की राशि का निर्धारित प्रक्रियानुसार भुगतान किया जाएगा।

9. <u>फिश किऑस्क (एक्वेरियम/अलंकारी मछली सहित) का संचालन :–</u>

xx. निर्माण के उपरान्त फिश किऑस्क (एक्वेरियम/अलंकारी मछली सहित) में 30 दिनों के अंदर मछली विक्रय का कार्य प्रारंभ करना आवश्यक होगा। कठिनाई होने पर जिला मत्स्य पदाधिकारी को सूचित करेंगे तथा जिला मत्स्य पदाधिकारी कठिनाईयों का निवारण करेंगे।

xxi. योजनांतर्गत अधिष्ठापित फिश किऑस्क (एक्वेरियम/अलंकारी मछली सहित) को न्यूनतम 5 वर्षों तक निरंतर निर्धारित क्षमता से संचालन की जिम्मेवारी लाभुक की होगी अन्यथा अनुदान राशि की वसूली निर्धारित प्रक्रियानुसार की जाएगी। आवेदक को इस आशय का शपथ–पत्र भी संलग्न करना होगा।

जलाशयों/आर्द्रभूमि में केज का अधिष्ठापन

1. योजना का उद्देश्य :–

राज्य में 9.41 लाख हेक्टेयर में आर्द्रभूमि तथा 26,303 हेक्टेयर में जलाशय उपलब्ध है। इन दोनो जलस्रोतों के उत्पादकता एवं मत्स्य उत्पादन क्षमता के अनुरूप मत्स्य कृषकों के द्वारा मत्स्य उत्पादन नहीं किया जा रहा है। इन जलस्रोतो के उत्पादन एवं उत्पादकता का सदुपयोग करने के उद्देश्य से राज्य के जलाशय/गहरे आर्द्र जलक्षेत्र में मत्स्यपालन हेतु केज अधिष्ठापन की नई वैज्ञानिक पद्धति आधारित कम जलक्षेत्र में गहन मत्स्यपालन किया जाएगा। इस तकनीक से खाने योग्य मछलियों के साथ साथ गुणवत्तायुक्त बड़े आकार का मत्स्य अंगुलिकाओं का उत्पादन सुनिश्चित हो सकेगा। इस योजना के क्रियान्वयन से राज्य के मत्स्य उत्पादन में अभिवृद्धि तथा मत्स्य कृषकों के वार्षिक आय में वृद्धि के साथ रोजगार का सृजन भी हो सकेगा। उपरोक्त योजना को एक व्यक्ति/परिवार/समुह को One Time के आधार पर आच्छादित किया जाना है।

2. योजना का मुख्य बिन्दु :–

i. यह योजना राज्य के जलाशयों एवं गहरे आर्द्र जलक्षेत्रों में कार्यान्वित किया जाएगा।

ii. इस योजना का क्रियान्वयन सालों भर औसतन 8 मीटर या अधिक जलस्तर (गहराई) रहने वाले सदाबहार जलाशय एवं आर्द्र जलक्षेत्र में किया जाएगा।

iii. इस योजना के तहत लाभुकों के निजी/निबंधित पट्टे की जलाशय/आर्द्र जलक्षेत्र में केज का अधिष्ठापन किया जाएगा।

iv. जलाशय/आर्द्रभूमि में केज का अधिष्ठापन की इकाई लागत मो0 3.00 लाख प्रति इकाई (इनपुट सहित) निर्धारित है।

v. इस योजना के तहत एक व्यक्ति अथवा एक परिवार को अधिकतम पाँच केज तथा एक समूह को अधिकतम 20 केज के अधिष्ठापन की अनुमान्यता होगी। एक समूह में न्यूनतम 10 सदस्यों का होना आवश्यक है।

3. योजना की तकनीकी विशिष्टता :– जलाशयों/आर्द्रभूमि में केज के अधिष्ठापन हेतु 6 मीटर X 4 मीटर X 4 मीटर के केज का अधिष्ठापन मेन केज फ्रेम, नाईलॉन नट एवं वोल्ट्स तथा केज के साथ ग्रो–आउट नेट, फिंगरलिंग नेट, केज प्रिडेटर नेट, बर्ड प्रोटेक्सन नेट, प्लेटफॉर्म/राफ्ट, बॉट्म फ्रेम, स्टोरेज शेड, रेलिंग, हाउस बोट, आदि आवश्यक है।

4. चयन की प्रक्रिया :– आवेदकों का चयन सामान्य योजना मे दिए शर्तो के आधार पर किया जाएगा।

5. चयन में प्राथमिकता :– योजना अंतर्गत आवेदक को चयन में प्राथमिकता निम्न आधार पर दी जा सकेगी–

xxviii. जलाशय के निर्माण के कारण विस्थापित एवं जलाशय के निकट निवास करने वाले व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जा सकती है।

xxix. आर्द्रभूमि में केज का अधिष्ठापन हेतु मत्स्यजीवी सहयोग समिति के सदस्यों को प्राथमिकता दी जा सकती है।

xxx. आवेदक के प्रशिक्षित होने की स्थिति में प्राथमिकता दी जा सकती है।

6. <u>कार्य पूर्ण करने हेतु समय–सीमा</u> :–

xxxi. कार्यादेश निर्गत करने के उपरान्त लाभूक को 30 दिनों के अंदर कार्य आरंभ एवं 60 दिनों के अंदर कार्य पूर्ण करना होगा। कार्य में विलम्ब की स्थिति में आवेदक को कार्य प्रारंभ करने की समय सीमा के अंदर जिला मत्स्य कार्यालय में समुचित कारण दर्शाते हुए अवधि विस्तार हेतु आवेदन समर्पित करना होगा। विलम्ब के उचित कारण की स्थिति में अधिकतम 30 दिनों तक का अवधि विस्तार जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा दिया जा सकता है।

xxxii. लाभुक द्वारा कार्यादेश निर्गत होने के 15 दिनों तक निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं करने की स्थिति में कारण पृच्छा नोटिस दिया जाएगा। 30 दिनों के अंदर कार्य प्रारंभ नहीं करने पर निर्गत कार्यादेश निरस्त कर लाभुक को सूचित किया जाएगा। इसकी सूचना उप मत्स्य निदेशक के माध्यम से निदेशालय को दी जाएगी।

xxxiii. कार्यादेश निरस्त करने के उपरांत योजनान्तर्गत ऑनलाईन के माध्यम से प्राप्त आवेदनों से प्रतीक्षा सूची में अगले आवेदक को निर्धारित समय सीमा के अंदर कार्य करने हेतु कार्यादेश निर्गत किया जाएगा।

7. निर्माण कार्यों का चरण :– जलाशयों/आर्द्रभूमि में केज का अधिष्ठापन कार्य पूर्ण होने के पश्चात् बीज संचयन का कार्य 15 दिनों के अंदर करेंगे तथा उन्नत प्रबंधन सुनिश्चित करेंगे।

8. <u>अनुदान का भुगतान</u> :–

योजना अंतर्गत देय अनुदान की राशि कुल दो किस्तों मे देय होगी।

xxxiii. प्रथम किस्त– लाभुक द्वारा निर्माण कार्य पूर्ण होने पर प्रमाणको एवं अभिश्रवों के जाँचोपरान्त कनीय अभियंता/मत्स्य विकास पदाधिकारी/मत्स्य प्रसार पदाधिकारी के अनुशंसा के उपरांत प्रथम किस्त के रूप में कुल भुगतेय अनुदान राशि की 50 प्रतिशत राशि का भुगतान निर्धारित प्रक्रियानुसार किया जाएगा।

xxxiv. द्वितीय किस्त– सभी कार्य पूर्ण एवं अंगुलिकाओं का संचयन सहित इनपुट से संबंधित सभी अभिश्रव के जाँचोपरान्त कनीय अभियंता/मत्स्य विकास पदाधिकारी/मत्स्य प्रसार पदाधिकारी के अनुशंसा के बाद शेष राशि का भुगतान निर्धारित प्रक्रियानुसार किया जाएगा।

9. <u>जलाशयों/आर्द्रभूमि में केज का संचालन :–</u>

i. केज के अधिष्ठापन के उपरान्त 15 दिनों के अंदर मत्स्य बीज संचयन का कार्य प्रारंभ करना आवश्यक होगा। कठिनाई होने पर जिला मत्स्य पदाधिकारी को सूचित करेंगे तथा जिला मत्स्य पदाधिकारी कठिनाईयों का निवारण करेंगे।

ii. योजनांतर्गत अधिष्ठापित केज का जलाशयों/आर्द्रभूमि में निर्धारित क्षमता से न्यूनतम 3 वर्षों तक निरंतर संचालन की जिम्मेवारी लाभुक की होगी अन्यथा अनुदान राशि की वसूली निर्धारित प्रक्रियानुसार की जाएगी। आवेदक को इस आशय का शपथ–पत्र भी संलग्न करना होगा।

जलाशयों एवं आर्द्रभूमि में मत्स्य अंगुलिकाओं का संचयन

1. योजना का उद्देश्य :–

राज्य में 9.41 लाख हेक्टर में आर्द्रभूमि तथा 26,303 हे0 में जलाशय उपलब्ध है। इन दोनो जलस्रोतों के उत्पादकता एवं मत्स्य उत्पादन क्षमता अधिक होने के बावजूद राष्ट्रीय औसत से उत्पादन की तुलना में नगण्य है। इसका मुख्य कारण गुणवत्तायुक्त मत्स्य अंगुलिकाओं का संचयन नहीं किया जाना है। इन जलस्रोतो में मत्स्य उत्पादकता एवं उत्पादन में अभिवृद्धि हेतु उन्नत गुणवत्तायुक्त मत्स्य अंगुलिकाओं के संचयन की आवश्यकता महसूस की जा रही है। इससे न केवल मत्स्य उत्पादन में अभिवृद्धि होगी बल्कि अतिरिक्त रोजगार का सृजन हो सकेगा।

2. योजना का मुख्य बिन्दु :–

i. इस योजना के तहत राज्य के आर्द्रभूमि एवं जलाशय में क्रमशः 1000 हे0 एवं 400 हे0 में अंगुलिकाओं का संचयन किया जाएगा।

ii. जलाशय/आर्द्र जलक्षेत्र में 1000 उन्नत मत्स्य अंगुलिकाओं प्रति हे0 के दर से संचयन किया जाएगा।

iii. प्रति मत्स्य अंगुलिकाओं का इकाई लागत 03 रूपया निर्धारित है।

iv. इस योजनान्तर्गत एक व्यक्ति/परिवार तथा समूह को क्रमशः 02 हे0 एवं 20 हे0 जलक्षेत्र में मत्स्य अंगुलिकाओं का संचयन की लाभ अनुमान्यता होगी।

v. जलाशय/आर्द्रभूमि के समीप अवस्थित समूह (SHG/JLG अथवा समिति के सदस्यों का Cluster) को प्राथमिकता दी जाएगी।

3. योजना का विस्तार :– इस योजना का क्रियान्वयन राज्य के जलाशयों एवं आर्द्रभूमि से अच्छादित सभी जिलों में की जाएगी।

4. योजना की तकनीकी विशिष्टता :–

i. जलाशयों/आर्द्रभूमि में 25 ग्राम से अधिक वजन के अंगुलिकाओं का संचयन किया जाएगा।

ii. अंगुलिकाओं का अच्छी नश्ल का होना आवश्यक है।

iii. प्रतिबंधित प्रजातियों की मत्स्य बीज यथा बिग हेड कार्प, थाई मांगुर, रूपचन्दा, ब्लैक कार्प, इत्यादि का संचयन नहीं किया जाएगा।

5. कार्य पूर्ण करने हेतु समय–सीमा :–

v. कार्यादेश निर्गत करने के उपरान्त लाभूक को 15 दिनों के अंदर कार्य आरंभ एवं 60 दिनों के अंदर कार्य पूर्ण करना होगा। कार्य में विलम्ब की स्थिति में आवेदक को कार्य प्रारंभ करने की

समय सीमा के अंदर जिला मत्स्य कार्यालय में समुचित कारण दर्शाते हुए अवधि विस्तार हेतु आवेदन समर्पित करना होगा। विलम्ब के उचित कारण की स्थिति में अधिकतम 15 दिनों तक का अवधि विस्तार जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा दिया जा सकता है।

vi. लाभुक द्वारा कार्यादेश निर्गत होने के 15 दिनों तक निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं करने की स्थिति में कारण पृच्छा नोटिस दिया जाएगा। 30 दिनों के अंदर कार्य प्रारंभ नहीं करने पर निर्गत कार्यादेश निरस्त कर लाभुक को सूचित किया जाएगा। इसकी सूचना उप मत्स्य निदेशक के माध्यम से निदेशालय को दी जाएगी।

vii. कार्यादेश निरस्त करने के उपरांत योजनान्तर्गत ऑनलाईन के माध्यम से प्राप्त आवेदनों से प्रतीक्षा सूची में अगले आवेदक को निर्धारित समय सीमा के अंदर कार्य करने हेतु कार्यादेश निर्गत किया जाएगा।

6. <u>अनुदान का भुगतान</u> :– देय अनुदान की राशि लाभुक के द्वारा मत्स्य अंगुलिकाओं के संचयन का कार्य पूर्ण करने के पश्चात् सभी वांछित दस्तावेज यथा मत्स्य अंगुलिका क्रय/आपूर्ति सम्बन्धित कागजात, संचयन का फोटोग्राफ/वीडियोग्राफी तथा दावा–पत्र कार्यालय में समर्पित करने के उपरांत अनुदान की राशि निर्धारित प्रक्रियानुसार भुगतान किया जाएगा।

7. <u>योजना का संचालन :–</u>

i. चयनित जलाशय/आर्द्र जलक्षेत्र में मत्स्य अंगुलिकाओं का संचयन योजना/क्षेत्रीय प्रभारी की उपस्थिति में किया जाएगा।

ii. संचयन के समय फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी करना अनिवार्य होगा।

ई–प्लैटफॉर्म (मत्स्य एवं मत्स्य उत्पादों के ई–ट्रेडिंग एवं ई–मार्केटिंग हेतु)

1. योजना का उद्देश्य :–

ई–प्लैटफॉर्म फोर ई–ट्रेडिंग ऑफ फिश योजना के तहत मत्स्य विपणन की प्रणाली का आधुनिकरण करना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य एक ई–प्लैटफॉर्म को विकसित करना है जिसके द्वारा एक Virtual प्लैटफॉर्म के माध्यम से मत्स्य, मत्स्य उत्पादों एवं मत्स्यपालन हेतु आवश्यक आदानों का विपणन किया जा सकेगा। मत्स्य बिक्रेता अपने उत्पाद को प्रदर्शित करते हुए विस्तारपूर्वक व्याख्या कर सकेगें। मत्स्य उपभोक्ता घर बैठे अपने पसंद की मत्स्य उत्पाद का उचित मूल्य पर आवश्यकतानुसार ससमय क्रय कर सकेगें। मत्स्य बिक्रेता को अल्प समय में ऐप के माध्यम से अपने उत्पाद को उपभोक्ताओं तक पहुँचाने में सहायता होगी। मत्स्य कृषक भी इस प्रणाली के माध्यम से गुणवत्तायुक्त मत्स्य आहार, मत्स्य बीज, विभिन्न प्रकार की दवाएँ एवं रसायन खरीद कर बिचौलियों से निजात पाया जा सकेगा। इससे मत्स्य कृषकों को अधिक लाभ तथा मत्स्य उपभोक्ता को गुणवत्तायुक्त उत्पाद उचित मूल्य पर प्राप्त हो सकेगा। इस Virtual प्लैटफॉर्म के द्वारा मत्स्य क्षेत्र से जुड़े हुए क्रेता एवं विक्रेता दोनो का समन्वय स्थापित किया जा सकेगा। इस योजना के क्रियान्वयन से अतिरिक्त रोजगार के अवसर सृजित होगें।

2. योजना का मुख्य बिन्दु :–

0. ई–प्लैटफॉर्म (मत्स्य एवं मत्स्य उत्पादों के ई–ट्रेडिंग एवं ई–मार्केटिंग) की इकाई लागत मो0 10.00 लाख निर्धारित है जिसका अन्य वर्ग हेतु 40 प्रतिशत अनुदान की अनुमान्यता है तथा शेष राशि लाभुकों के द्वारा स्वलागत अथवा बैंक ऋण के माध्यम से वहन किया जाएगा।
1. ई–प्लैटफॉर्म हेतु लाभार्थी का ई–ट्रेडिंग/मार्केटिंग, संचालन एवं प्रबंधन का अनुभव आवश्यक है।

3. योजना का विस्तार :– इस योजना का क्रियान्वयन राज्य के पटना जिला में किया जाएगा।

4. चयन में प्राथमिकता :– ई–ट्रेडिंग/मार्केटिंग/बिजनेस संचालन एवं प्रबंधन का अनुभव।

5. निर्माण कार्यों का चरण :– ई–प्लैटफॉर्म (मत्स्य एवं मत्स्य उत्पादों के ई–ट्रेडिंग एवं ई–मार्केटिंग) हेतु सॉफ्टवेयर बनाने का कार्य पूर्ण करेंगे तथा उत्पादो से संबधित सभी जानकारियॉ उपलब्ध करायेंगे।

6. कार्य पूर्ण करने हेतु समय–सीमा :–

xxxiv. कार्यादेश निर्गत करने के उपरान्त लाभूक को 15 दिनों के अंदर कार्य आरंभ एवं 90 दिनों के अंदर कार्य पूर्ण करना होगा। कार्य में विलम्ब की स्थिति में आवेदक को कार्य प्रारंभ करने की समय सीमा के अंदर जिला मत्स्य कार्यालय में समुचित कारण दर्शाते हुए अवधि विस्तार हेतु

आवेदन समर्पित करना होगा। विलम्ब के उचित कारण की स्थिति में अधिकतम 30 दिनों तक का अवधि विस्तार जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा दिया जा सकता है।

xxxv. लाभुक द्वारा कार्यादेश निर्गत होने के 30 दिनों तक निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं करने की स्थिति में कारण पृच्छा नोटिस दिया जाएगा। 45 दिनों के अंदर कार्य प्रारंभ नहीं करने पर निर्गत कार्यादेश निरस्त कर लाभुक को सूचित किया जाएगा। इसकी सूचना उप मत्स्य निदेशक के माध्यम से निदेशालय को दी जाएगी।

xxxvi. कार्यादेश निरस्त करने के उपरांत योजनान्तर्गत ऑनलाईन के माध्यम से प्राप्त आवेदनों से प्रतीक्षा सूची में अगले आवेदक को निर्धारित समय सीमा के अंदर कार्य करने हेतु कार्यादेश निर्गत किया जाएगा।

7. <u>अनुदान का भुगतान</u> :–

योजना अंतर्गत देय अनुदान की राशि कुल दो किस्तों मे देय होगी।

xxxv. **प्रथम किस्त–** लाभुक के द्वारा ई–प्लैटफॉर्म से संबंधित ऐप विकसित तथा क्लाउड पर होस्ट करते हुए सफलतापूर्वक डेमोनस्ट्रेट (demonstrate) करने के पश्चात् क्षेत्रीय/जिला मत्स्य पदाधिकारी के अनुशंसा के उपरांत अनुदान की राशि का 50 प्रतिशत प्रथम किस्त के रूप में निर्धारित प्रक्रियानुसार भुगतान किया जाएगा।

xxxvi. **द्वितीय किस्त–** शेष राशि का भुगतान सभी सप्लायरर्स से लिंक करने के पश्चात् वास्तविक सप्लाई आरंभ करने तथा संबंधित सभी समर्पित अभिश्रव के जाँचोपरांत निर्धारित प्रक्रियानुसार किया जाएगा।

8. <u>ई–प्लैटफॉर्म का संचालन</u> :–

i. *''मत्स्य निदेशालय, बिहार सरकार द्वारा आर्थिक सहायता से प्रदत्त''* से सम्बन्धित लोगो ई–प्लैटफॉर्म (मत्स्य एवं मत्स्य उत्पादों के ई–ट्रेडिंग एवं ई–मार्केटिंग) पर लगाना अनिवार्य होगा।

ii. प्रथम वर्ष ई–प्लैटफॉर्म के माध्यम से होने वाले व्यवसाय का मासिक प्रतिवेदन समर्पित करना होगा।

प्रसार एवं सलाह सेवा (मत्स्य सेवा केन्द्र) का अधिष्ठापन

1. योजना का उद्देश्य :–

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनान्तर्गत राज्य के कृषकों को मत्स्यपालन से सम्बन्धित जल एवं मृदा की जाँच, पूरक आहार की उपलब्धता, मत्स्य स्वास्थ्य का प्रबंधन आदि मत्स्य प्रसार की सुविधा एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रसार एवं सलाह सेवा (मत्स्य सेवा केन्द्र) का अधिष्ठापन किया जाएगा। इसके सफल क्रियान्वयन से मत्स्य कृषकों को ससमय मत्स्य पालन से सम्बन्धित नवीनतम पालन तकनीक के साथ–साथ पालन में आवश्यक सभी इनपुट एवं सेवाएँ की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगा। इससे सेवा प्रदाता के लाभान्वित होने के साथ मत्स्य कृषक के वार्षिक आय में भी अभिवृद्धि होगी। साथ ही, रोजगार के नये अवसर भी सृजित होगें तथा राज्य के मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादकता में अभिवृद्धि में सहायक होगा। यह योजना एक व्यक्ति/परिवार को One Time के आधार पर आच्छादित की जाएगी।

2. योजना का मुख्य बिन्दु :–

i. प्रसार एवं सलाह सेवा (मत्स्य सेवा केन्द्र) हेतु लाभार्थी का मत्स्य क्षेत्र के विभिन्न मात्स्यिकी आयामों का तकनीकी जानकारी एवं सम्बद्ध प्रक्षेत्र के कुशल प्रबंधन एवं प्रसार का अनुभव आवश्यक है।

ii. मछुआरों एवं मत्स्य कृषकों को विभागीय योजनाओं की जानकारी ससमय उपलब्ध करायेगें तथा आधुनिक मत्स्य तकनीकी की जानकारी मत्स्य बीज, मत्स्य आहार, औषधि, विभिन्न रसायन एवं नाव–जाल की उपलब्धता की सूचना इत्यादि के साथ–साथ जल एवं मृदा परिक्षण कर मत्स्यपालन एवं प्रबंधन संबंधी सलाह देगें।

iii. जिला मत्स्य पदाधिकारी से हस्ताक्षरित पंजी पर प्रचार–प्रसार तकनीकी जानकारी, जल एवं मृदा से संबंधित सभी सूचनाएँ प्रतिदिन संधारित करेंगे।

iv. मत्स्य सेवा केन्द्र द्वारा किये गये कार्यों की जाँच एवं मूल्यांकन जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा तथा इससे संबंधित प्रतिवेदन उप मत्स्य निदेशक के माध्यम से निदेशालय को उपलब्ध करायेगें।

v. मत्स्य सेवा केन्द्र का निरंतर संचालन न्यूनतम 5 वर्षों तक करना आनिवार्य होगा अन्यथा अनुदान की राशि की वसूली की जाएगी।

vi. इस योजनांतर्गत अच्छादित होने हेतु लाभुक के पास निजी अथवा निबंधित पट्टे (न्यूनतम 7 वर्ष) न्यूनतम 1000 वर्ग फीट का कमरा/फ्लैट/भवन का होना अनिवार्य है।

3. योजना की तकनीकी विशिष्टता :–

2. योजनांतर्गत लाभुक मत्स्य सेवा केन्द्र हेतु भूमि/भवन एवं समुचित जल की व्यवस्था रखेंगे। मृदा एवं जल की विश्लेष्णात्मक जॉच हेतु प्रयोगशाला उपकरण अधिष्ठापित करेंगे। सूक्ष्मजीवों के उपस्थिति के निर्धारण हेतु सूक्ष्मजीव प्रयोगशला उपकरण अधिष्ठापित करेंगे। मत्स्य सेवा केन्द्र में आवश्यक रूप से प्रयोगशाला के लिए फर्नीचर, आई0 सी0 टी0 उपकरण आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। मत्स्य सेवा केन्द्र में अधिष्ठापित किए गए विभिन्न अवयवों का इकाई लागत 25.00 लाख रूपये निर्धारित है।
3. मृदा एवं जल के विश्लेष्णात्मक जॉच हेतु प्रयोगशाला में प्रमुख रूप से पी0एच0 मीटर, सैलिनिटी रिफ्रैक्टोमीटर, इलेक्ट्रॉनिक टी0डी0एस0 मीटर, डी0ओ0 मीटर, फ्लैम फोटोमीटर, वाटर बाथ, हॉट एयर ओवन, इलेक्ट्रॉनिक बैलेन्स, सेच्ची डिस्क, वैन्डथौफ कोन, प्लवन नेट, डिस्टीलेशन यूनिट, मृदा पी0एच0 कोन, मृदा नमी/तापमान अमोनिया, हाईड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाई ऑक्साइड, अल्कलिनिटी, कार्बन डाई ऑक्साईड एवं आयरन मापक, ग्लास वेयर (1 लॉट) एवं केमिकल्स (1 लॉट) का अधिष्ठापन आवश्यक है।
4. सूक्ष्मजीव प्रयोगशाला में प्रमुख रूप से ट्राईनोकुलर माइक्रोस्कोप, ऑटोक्लेव, हॉट प्लेट, कॉलोनी काउन्टर, बैक्टेरियोलॉजिकल इनक्युबेटर, माइक्रो पिपेट, लैमिनार एयर फ्लो, अगार, ग्लास वेयर (1 लॉट) एवं केमिकल्स (1 लॉट) का अधिष्ठापन किया जाना है।
5. फर्नीचर एवं अन्य सामग्रियों में प्रमुख रूप से रिशेप्सन टेबल, 4 फीट X 6 फीट के कॉच अथवा ग्रेनाईट का 2 टेबल, 2 स्टेन्लेस स्टील वर्ड बेन्च, शेल्वस, मजबूत रैक, कुर्सी, स्टेन्लेस स्टील स्टूल, वाश बेसिन, कॉन्फ्रेन्स टेबल एवं डिस्प्ले पोस्टर का अधिष्ठापन किया जाना है।
6. आई0सी0टी0 उपकरण आदि अंतर्गत 2 कम्प्यूटर, फिल्ड विजिट हेतु 1 लैपटॉप, सॉफ्टवेयर/ऐप, प्रिंटर एवं अन्य उपकरण का अधिष्ठापन आवश्यक है।
7. टू व्हीलर एवं फिल्ड किट अंतर्गत टू व्हीलर, मोबाईल लैबोरेटरी एंव संबंधित उपकरण का अधिष्ठापन किया जाना है।

4. **चयन की प्रक्रिया :–** आवेदकों का चयन सामान्य योजना मे दिए शर्तो के आधार पर किया जाएगा।

5. **योजना के लिए अहर्त्ताएँ :–**

- मत्स्य क्षेत्र के विभिन्न मात्स्यिकी आयामों का तकनीकी जानकारी, एवं सम्बंधित क्षेत्र में कुशल प्रबंधन एवं प्रसार का अनुभव।
- लाभुक कम आयु के पेशेवर होने चाहिये तथा बी0एफ0एससी0/एम0एफ0एस0सी0/एम0एससी0 (जन्तु विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री)/डिग्री इन इंडस्ट्रीयल फिशरीज का प्रमाण–पत्र होना आवश्यक है।

6. **चयन में प्राथमिकता :–** योजना अंतर्गत आवेदक को चयन में प्राथमिकता निम्न आधार पर दी जा सकेगी–

xxxi. अधिक शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव वाले आवेदक को चयन में प्राथमिकता दी जा सकती है।

7. **कार्य पूर्ण करने हेतु समय–सीमा :–**

xxxvii. कार्यादेश निर्गत करने के उपरान्त लाभूक को 30 दिनों के अंदर कार्य आरंभ एवं 90 दिनों के अंदर कार्य पूर्ण करना होगा। कार्य में विलम्ब की स्थिति में आवेदक को कार्य प्रारंभ करने की समय सीमा के अंदर जिला मत्स्य कार्यालय में समुचित कारण दर्शाते हुए अवधि विस्तार हेतु आवेदन समर्पित करना होगा। विलम्ब के उचित कारण की स्थिति में अधिकतम 30 दिनों तक का अवधि विस्तार जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा दिया जा सकता है।

xxxviii. लाभुक द्वारा कार्यादेश निर्गत होने के 30 दिनों तक निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं करने की स्थिति में कारण पृच्छा नोटिस दिया जाएगा। 45 दिनों के अंदर कार्य प्रारंभ नहीं करने पर निर्गत कार्यादेश निरस्त कर लाभुक को सूचित किया जाएगा। इसकी सूचना उप मत्स्य निदेशक के माध्यम से निदेशालय को दी जाएगी।

xxxix. कार्यादेश निरस्त करने के उपरांत योजनान्तर्गत ऑनलाईन के माध्यम से प्राप्त आवेदनों से प्रतीक्षा सूची में अगले आवेदक को निर्धारित समय सीमा के अंदर कार्य करने हेतु कार्यादेश निर्गत किया जाएगा।

8. **निर्माण कार्यों का चरण :–** प्रसार एवं सलाह सेवा (मत्स्य सेवा केन्द्र) का अधिष्ठापन कार्य पूर्ण करने के पश्चात् समुचित प्रचार–प्रसार करेंगे तथा जॉच संबंधी कार्य प्रारंभ करना सुनिश्चित करेंगे।

9. **अनुदान का भुगतान :–** योजना अंतर्गत देय अनुदान की राशि कुल दो किस्तों मे देय होगी।

xxxvii. **प्रथम किस्त–** लाभुक के द्वारा मत्स्य सेवा केन्द्र में फेब्रीकेशन, पार्टीशन, विद्युत आपूर्ति, जल ड्रेनेज सिस्टम एवं शौचालय निर्माण कार्य पूर्ण करने के साथ फर्नीचर, टू व्हीलर, फिल्ड किट, आदि का क्रय करने के पश्चात् मत्स्य विकास पदाधिकारी/मत्स्य प्रसार पदाधिकारी के अनुशंसा के आधार पर जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा कुल देय अनुदान का 50 प्रतिशत राशि निर्धारित प्रक्रियानुसार भुगतान किया जाएगा।

xxxviii. **द्वितीय किस्त–** लाभुक के द्वारा मत्स्य सेवा केन्द्र से संबंधित सभी तरह के उपकरणों यथा मृदा एवं जल विश्लेषण प्रयोगशाला, सूक्ष्मजीव प्रयोगशाला, आई0 सी0 टी0 उपकरण आदि के अधिष्ठापन के पश्चात् एवं मत्स्य सेवा केन्द्र में संबंधित वर्ग के मानव संसाधन की नियुक्ति करने एवं केन्द्र को पूर्ण रुप से संचालन की स्थिति में लाने के उपरान्त मत्स्य विकास पदाधिकारी/मत्स्य प्रसार

पदाधिकारी की अनुशंसा के आधार पर अनुदान की शेष राशि निर्धारित प्रक्रियानुसार भुगतान की जाएगी।

10. <u>प्रसार एवं सलाह सेवा (मत्स्य सेवा केन्द्र) का संचालन :–</u>

i. आवेदक को मत्स्य सेवा केन्द्र के निर्माण के पश्चात् एक वर्ष तक सभी आकड़ो का मासिक संधारण कर कार्यालय में समर्पित करना होगा।

ii. *''मत्स्य निदेशालय, बिहार सरकार द्वारा आर्थिक सहायता से प्रदत्त''* से सम्बन्धित प्रतिचिन्ह् प्रसार एवं सलाह सेवा (मत्स्य सेवा केन्द्र) पर लगाना अनिवार्य होगा।